राजमाता विजयाराजे सिंधिया
जन्म शताब्दी वर्ष

भाजपा

सदैव अटल
भारत रत्न
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
1924–2018

समृद्ध मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र

भाजपा ने सांचा, समृद्ध मध्यप्रदेश का ढांचा

भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश

भूमिका

प्रदेश के मेरे बहनों और भाईयों,

विगत पंद्रह वर्षों में आप सभी से हमारा एक आत्मिक रिश्ता बना है। आप का स्नेह एवं आर्शिवाद हमें मिला है। हमारी सरकार ने भी पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव के साथ इस प्रदेश की यथासंभव सेवा की है। सन 2013 के चुनावों में हमने आपसे कुछ वादे किये थे, आज भाजपा सरकार पूरे विश्वास से यह कहने की स्थिति में है कि हमने न केवल उन वादों को पूरा किया है, परंतु सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, प्रदेश में जनता के कल्याण को केंद्र में रखते हुए, ऐसी लोककल्याणकारी योजनाएँ भी बनाई हैं जो हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा थी ही नहीं। चाहे वह गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने वाली सर्वसमावेशी योजना संबल हो, या गरीबों को एक रुपए किलो पर चावल देने का निर्णय हो; मेधावी विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने वाली मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हो, या फिर ग़रीबों को बिजली के बड़े-बड़े बिलों से राहत देने वाली और बाद में सिर्फ़ 200 रुपए प्रति माह पर बिजली देने वाली सरल बिजली योजना हो; किसानों के युवा बेटे-बेटियों को उद्यमी बनाने वाली युवा कृषक उद्यमी योजना हो या फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल, पानी की बोतल और साड़ी देने की योजना हो। हमने हमेशा अपने वादों से आगे बढ़कर काम किया है।

भाजपा सरकार की हर योजना पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें हम समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण और उत्थान को केंद्र में रखकर प्रदेश के हर वर्ग को धर्म और जाति से ऊपर उठकर लाभान्वित कर रहे हैं। विगत पंद्रह वर्षों का हमारा कार्य इसी आदर्श के अनुरूप रहा है। हमारे लक्षित प्रयासों के कारण हमने प्रदेश पर लगा बीमारू राज्य का कलंक मिटाकर, उसे प्रगति के पथ पर आरूढ़ कर विकास की अभूतपूर्व उचाईयों को स्पर्श किया है, जो आज हमारे प्रदेश के 7.25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बदलने में सहायक हो रहा है। विगत पंद्रह वर्षों में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2003 की तुलना में 1,12,927 करोड़ रुपयों से 6 गुना बढ़कर 7,07,047 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है। साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी 15,442 रुपयों से 5 गुना बढ़कर 79,909 रुपए हो गई है। हमारे कार्यों के फलस्वरूप आज हमारा प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश की ओर अग्रेसर है।

2003 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी, तब बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। इस अभाव को मिटाने के बाद हमारे दुसरे कार्यकाल में हमने इस प्रदेश को बदनाम करनेवाली बीमारू की शब्दावली से मध्य प्रदेश को बाहर निकाला। 2013 तक यह प्रदेश बीमारू से

सुचारू बन गया। 2013 के बाद हमने बुनियादी संरचनाओं को मजबूत किया है। और अब, यह जुझारू प्रदेश समृद्धि की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार है। अब हमारा सपना है समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकासोन्मुख है। नए भारत का निर्माण हो रहा है और इसमें मध्य प्रदेश को भी कदम से कदम मिलाकर चलना है, तेजी से बढती अर्थव्यवस्था के साथ प्रदेश को भविष्य की ओर गतिशील बनाना है। जनता की आकांक्षाओं को यथार्थ में परिणित कर उनकी पूर्ति करना है, इसलिए हमने प्रदेश के सभी अंचलो से और सभी प्रकार के कार्य क्षेत्रों की जनता से सीधे संवाद किया, उनके सुझाव प्राप्त किए, उनके विचारों और मन-मस्तिष्क में घुमड़ रही कल्पनाओं को जानने समझने का प्रयास किया है और समृद्ध मध्यप्रदेश के भविष्य का यह नक़्शा तैयार किया है। यह दृष्टि पत्र ठोस आधार पर, ज़मीनी हक़ीक़तों को ध्यान में रख कर और आप के सुझावों से बनाया गया है। हमारे लिए यह दृष्टि पत्र सिर्फ़ एक काल्पनिक प्रपत्र नहीं हैं, बल्कि जनता के साथ एक नया समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने का अनुबंध है।

यह हमारा संकल्प है कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम हमेशा की तरह आगे भी नयी नीतियाँ और योजनाएं बनाते रहेंगे, और प्रदेश को पूरे भारत में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करके दिखाएँगे। समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु अगले पांच वर्षों तक मध्य प्रदेश को प्रति वर्ष डबल डिजिट की विकास दर बढ़ाने और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए हम संकल्पित हैं।

आइये फिर एक बार प्रदेश की तस्वीर को बदलने की यात्रा पर साथ चलते हैं, और समृद्ध मध्य प्रदेश के सपने को साकार करते हैं।

शिवराज सिंह चौहान

अनुक्रमणिका

संपन्न किसान, समृद्ध प्रदेश.....04

सर्वोत्तम शिक्षा से समृद्धि की ओर.....14

समृद्ध भविष्य का युवा और रोजगार सृजन.....19

उद्योग से समृद्धि के नए अवसर.....25

आधारभूत संरचना बने समृद्धि का आधार.....31

समृद्धि के लिए सुगम सुशासन.....37

समृद्ध प्रदेश के स्वस्थ नागरिक.....43

समृद्ध शहरों का संकल्प.....50

समृद्ध गांवों में निरंतर विकास.....55

सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक.....58

पर्यावरण अनुकूल समृद्धि का संकल्प.....63

समृद्धि के समान अवसर.....67

संपन्न किसान, समृद्ध प्रदेश

विकास के कीर्तिमान

पर्याप्त सिंचाई, बिजली, उन्नत बीज एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर हम कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में देश में सर्वोच्च विकास दर प्राप्त कर हम पांच बार 'कृषि कर्मण' पुरस्कार प्राप्त करने का कीर्तिमान बना पाए हैं। हमारी कृषि विकास दर जो सन 2003 के पूर्व ऋणात्मक दिशा में जा रही थी, निरंतर विकासोन्मुख होकर वह आज 24 प्रतिशत के उच्चतम दर पर है। कृषि उत्पादन जहां 2003 में 2.14 करोड़ मेट्रिक टन था, आज 2017-18 में वह बढ़कर 5.44 करोड़ मेट्रिक टन हो गया है। सिर्फ उत्पादन वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, उपज का सही लाभ भी किसान को मिलना चाहिए, इसकी भी हमने पूरी चिंता की है। किसानों को लाभकारी भाव मिले इस हेतु भावांतर योजना लागू कर किसान को उचित मूल्य दिया है। यहां तक कि पिछले वर्ष की कमी की पूर्ति करते हुए गेहूँ का गत वर्ष का 200 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी किसानों को हमने दिया है। भारत ही नहीं विश्व के किसी कोने में एक वर्ष पश्चात बिना मांगे, इतनी बड़ी बोनस राशि मिलने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। पूरे प्रदेश में कुल 33.50 लाख किसानों के खाते में 5,900 करोड़ रुपयों की राशि जमा की गई है।

पहले मध्यप्रदेश में हर वर्ष किसी न किसी भाग में सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हम वर्षा जल के अलावा प्रदेश की 65 प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई व्यवस्था से जोड़ पाए हैं। पहले जहां 7.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज सिंचाई रकबा बढकर 40 लाख हेक्टेयर है। 2003 तक सिंचाई पर कांग्रेस सरकार 1,005 करोड रुपये खर्च करती थी, उसकी तुलना में वर्तमान में सन 2017-18 के बजट में 10,928 करोड रुपये का प्रावधान है। 21 बृहद, 49 मध्यम और 394 लघुसिंचाई योजनाएं निर्माणधीन हैं। हम ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार नर्मदा के प्रदेश के हिस्से का 18.25 एमएएफ के जल का उपयोग करने हेतु अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहे है। नर्मदा का जल अब मालवा अंचल को भी सिंचित कर रहा है। पहले 9.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी आज 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। भविष्य में हमारा लक्ष्य 80 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र की वृद्धि करना हैं। सिंचाई में वृद्धि के फलस्वरूप खाद्यान के साथ-साथ नगद फसलों के मामले में भी हम सराहनीय प्रगति कर पाए हैं।

संसाधनों की सुलभता

1. हमारे छोटे किसान मंडी या उपार्जन केंद्र तक इस कारण नहीं पहुंच पाते हैं कि उनके पास बेचने के लिए उतनी फसल ही नहीं होती है। ऐसे किसानों को कृषक समृद्धि योजना या भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः हम **'लघु किसान स्वावलंबन योजना'** चलाएंगे जिसमें ऐसे वंचित छोटे किसानों को उनकी कृषि भूमि के रकबे के मान से संबंधित फसल के उत्पादन अनुरूप कृषक समृद्धि योजना के समानुपातिक बोनस का लाभ देंगे।
2. हम सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक फ़सली ऋण को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करेंगे।
3. हम सभी लघु और सीमांत किसानों तक औपचारिक ऋण की सुविधा सुलभता से पहुँचाने हेतु प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या बढ़ाकर 12,000 करेंगे।
4. हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बीज़ और उर्वरक जैसी सामग्री एवं कृषि उपकरणों की सुविधा किसानों को मुहैया कराने के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाएंगे।
5. सभी किसानों तक उच्च-गुणवत्ता के बीज़ रियायती दरों पर पहुंचाने हेतु हम अगले 5 सालों में सभी लघु एवं सीमांत किसानों को जाति की किसी भी पात्रता के बिना सूरजधरा और अन्नपूर्णा योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
6. बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हम स्वयं सहायता समूहों और निजी संस्थाओं की सहायता से ब्लॉक और पंचायत स्तर पर बीज का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करेंगे।
7. बीज उत्पादन को किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बनाने हेतु हम बीज़ उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या को दोगुना करेंगे और उन्हें बीज़ ग्रेडर एवं ट्रीटमेंट ड्रम उपलब्ध कराएंगे।
8. कृषि में उपयोग होने वाले बीज़ों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम निज़ी बीज़ प्रमाणीकरण एजेंसियों को प्रदेश में प्रोत्साहित करेंगे।

भूमि और मृदा प्रबंधन

1. मिट्टी में सूक्ष्मपोषक तत्वों की पुनःपूर्ति के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाएगी।
2. फसलों की,विशेषतः सोयाबीन की,उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने हेतु लक्षित कार्य किया जाएगा।
3. हम जन-धन, आधार और मोबाइल के माध्यम से भूमि अभिलेखों और मृदा स्वास्थ्य अभिलेखों (सॉईल हेल्थ काड) को जोड़कर प्रदेश की कृषि भूमि की व्यापक सूची बनाकर किसानों को मिट्टी के सर्वोत्तम प्रबंधन और उर्वरकों के इष्टतम उपयोग के लिए व्यक्तिगत सलाह और मौसम की जानकारी मुहैया कराएंगे।

4. हम मिट्टी की सूक्ष्म-पौष्टिकता के परीक्षण हेतु 1,000 नए सॉईल जाँच केंद्रों का निर्माण करेंगे और उनमें पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
5. हमारी सरकार ने बटाईदार अधिनियम को पारित कर एक उदहारण देश के समक्ष रखा है। कृषि के लिए ज़मीन लीज पर लेने वाले स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को लीज राशि पर सब्सिडी प्रदान करेंगे और इस एक्ट का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाएंगे।

कृषि यांत्रिकीकरण

1. यंत्रीकृत कृषि उपकरणों और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अधिकतम किसानों तक पहुँचाने के लिए हम कस्टम हायरिंग केन्द्रों की संख्या को दोगुना करेंगे।
2. यंत्रीकृत उपकरणों के उपयोग में और तेज़ी लाने के लिए यंत्र दूत योजना का विस्तार कर हम उसे 2,000 गांवों तक पहुंचाएंगे।
3. ख़रीफ फसलों, विशेषतः सोयाबीन, की खेती में रिज-फरो पद्धति को बढ़ावा देने और अगले पांच सालों में 30 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इस पद्धति के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु मिशन मोड पर एक परियोजना चलाई जाएगी, इसके अंतर्गत रेजड बेड प्लांटर पर सब्सिडी को बढ़ा कर 90% किया जाएगा।
4. सभी किसानों को जीरो-टिल सीड ड्रिल्स और हैपी/टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी दी जाएगी ताकि कटाई में विलंभ के कारण दूसरी फसल पर असर न पड़े।

तकनीक, विस्तार और अनुसंधान

1. कृषि विस्तार कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 'राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान' को पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
2. हम कृषि विभाग में कार्यरत विस्तार कर्मचारियों और वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करेंगे ताकि अंतिम-मील तक बेहतर विस्तार सेवाएं दी जा सके।
3. हम किसानों को नियत तकनीकी प्रदर्शन की सूचना SMS और वॉइस मेसेज से भेजे जाने की व्यवस्था करेंगे।
4. हम 'मध्य प्रदेश मौसम-विज्ञान निगम' की स्थापना करेंगे जिसके द्वारा स्थानीय मौसम की जानकारी सुलभता से एकत्रित एवं प्रदान की जा सके।
5. 'कृषि मित्र योजना' के तहत पंचायतों के समूह में एक कृषि मित्र की पहचान की जाएगी जिसे कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़कर प्रशिक्षण दिया जाएगा और किसानों का मार्गदर्शन, तकनीक के विस्तार और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग के प्रचार के लिए मानदेय दिया जाएगा।
6. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को 'पथदर्शी कृषि अनुसंधान संस्थान' के तौर पर विकसित किया जाएगा और वहां कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान किया जाएगा।
7. प्रदेश के किसानों द्वारा विकसित फसल की नई किस्मों, कृषि पद्धतियों और किफ़ायती तरीकों को सम्मानित करने हेतु एक प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

8. 100 करोड़ रुपयों के 'मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष' की स्थापना की जाएगी एवं कृषि उद्यमियों को इस कोष का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में आधुनिक उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
9. खाद्य प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी सहायता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक 'मध्य प्रदेश फ़ूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी' की स्थापना की जाएगी।

जोखिम प्रबंधन

1. अधिसूचित फसलों के तहत आने वाली अधिकतम भूमि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिस से कि किसी भी तरह के अप्रत्याशित नुकसान की आशंका को कम किया जा सके।
2. किसी भी तरह के अप्रत्याशित नुकसान से किसानों का संरक्षण आश्वासित करने और बीमा कंपनियों से मिलने वाले मुआवज़े का बिना विलंब भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार के अंशदान के नियमित भुगतान के लिए एक स्थायी फंड का सृजन किया जाएगा।
3. फसल बीमारियों और कीटों के प्रकोप की तुरंत पहचान, नियंत्रण और रोकथाम हेतु एक आधुनिक 'फसल रोग और कीट निगरानी एजेंसी' की स्थापना की जाएगी।

कटाई के बाद की मूल्य श्रृंखला

न्यूनतम समर्थन मूल्य और उपार्जन

1. हम निज़ी उद्योगों द्वारा खरीद प्रतिबद्धताओं और सार्वजनिक उपार्जन के माध्यम से विक्रेय दलहन की 100% ख़रीद सुनिश्चित करेंगे।
2. किसानों को प्रमुख कृषि उपज में बाज़ार के उतार-चढ़ावों से बचाने और उनको उचित मूल्य देने हेतु गठित मूल्य स्थिरिकरण कोष को सुदृढ़ किया जाएगा।
3. किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत देने हेतु हम ई-उपार्जन प्रणाली का और प्रभावी उपयोग करेंगे और नई फसलों को इस प्रणाली में सम्मिलित करेंगे।
4. ई-उपार्जन पोर्टल में किसानों को लॉग-इन की सुविधा दी जाएगी, जिससे अपनी जानकारी वह खुद भर सकते हैं।

बाजारों की सुलभता

1. हम कृषि मंडियों को और प्रभावी बनाने और किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करने हेतु वर्तमान कृषि मंडी अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे।
2. हम प्रदेश की सभी मंडियों को 'ई-नाम' से जोड़ेंगे ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें मिल सके।

3. ई-नाम के माध्यम से राज्य में उपज खरीदने की इच्छुक कोई भी इकाई जिसके पास किसी अन्य राज्य द्वारा जारी एकीकृत मंडी लाइसेंस है, उसे ई-नाम के माध्यम से व्यापार की अनुमति दी जाएगी।
4. ई-नाम से जोड़ी गई मंडियों में 100% आवक का व्यापार ई-नाम पर ऑनलाइन किया जाएगा।
5. मंडियों में कृषकों को फसल विक्रय मूल्य की 25 प्रतिशत तक की राशि को नगद भुगतान के रूप में देने हेतु हम आवश्यक कदम उठाएंगे।
6. हम एक वर्ष के भीतर सभी मंडियों में बेची जाने वाली तीन शीर्ष फसलों के लिए ग्रेडिंग और असेयिंग उपकरण प्रदान करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू करेंगे।
7. हम निजी संस्थानों और कंपनियों के लिए असेयिंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे।
8. वजन और माप विभाग के फ्लाइंग स्काव्ड्स के माध्यम से मंडियों में उपयोग होने वाले तौलने के उपकरणों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाएगी।
9. उपज की कीमतों की जानकारी का प्रसार करने के लिए 'ई-नाम' की वर्तमान कीमतों को मंडियों में डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
10. कृषि मंडियों में विश्राम-गृह, कैंटीन और पेयजल जैसी सुविधाओं का उन्नयन तत्परता से किया जाएगा।

जैविक खेती

1. परंपरागत कृषि विकास योजना का पूरा लाभ उठाकर हम जैविक खेती के कुल क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ाएंगे और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और झाबुआ जिलों में जैविक खेती के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान देंगे।
2. पहले से पंजीकृत जैविक खेतों की उपज (अधिसूचित फसलों समेत) को मंडियों के बाहर बेचने की छूट दी जाएगी और मंडियों में जैविक कृषि के लेनदेन के लिए अलग व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
3. प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

नए विपणन अवसर और प्रीमियम उत्पाद

1. हम कृषि मंडी कानून के दायरे के बाहर ग्राम-स्तरीय विपणन अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण कृषि बाजारों की स्थापना तेजी से करेंगे।
2. हम पर्यावरण-अनुकूल कार्बन-न्यूट्रल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करेंगे और घरेलू एवं विदेशी बाजारों में प्रीमियम उत्पादों के रूप में इस उपज के प्रमाणन और विपणन हेतु एक प्रभावी प्रणाली तैयार करेंगे।
3. हम वैश्विक कृषि उत्पादन और कृषि व्यापार की स्थिति की निगरानी के लिए एक एजेंसी स्थापित करेंगे और संभावित विदेशी बाजारों की पहचान करने, और वैश्विक फाइटोसनेटरी मानकों एवं अंतराष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं के अनुपालन में किसानों की सहायता करने

हेतु सुविधा प्रदान करेंगे। यह एजेंसी घरेलू कृषि बाजारों में उत्पादन और भाव के पूर्वानुमान संबंधी मॉडलिंग और सूचना प्रसार के लिए भी जिम्मेदार होगी।

4. शरबती गेहूं को प्रीमियम उपज बनाने हेतु हम शरबती गेहूं को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर (GI) दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे।

उपज का एकत्रीकरण

1. प्रदेश में कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या को 1,000 तक बढ़ाकर हम अगले पांच वर्षों में 10 लाख कृषक परिवारों को एफपीओ में संगठित करेंगे और प्रत्येक एफपीओ को 3 करोड़ रुपयों तक का ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करेंगे।
2. पंजीकृत एफपीओ के लिए प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुलभ बनाने हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर और एकाउंटेंट को अनुबंधित करने हेतु 30,000 रुपए प्रतिमाह की नकद सब्सिडी दी जाएगी।
3. इच्छुक एफपीओ को उनके प्रसंस्करण और विपणन कार्यों को बड़े स्तर तक बढ़ाने हेतु मंडियों से अतिरिक्त उपज खरीदने में सहायता करने हेतु मंडी लाइसेंस दिए जाएंगे।

भंडारण और लॉजिस्टिक्स

1. प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक एक छोर से दूसरे छोर तक उद्योग कॉरिडोर की तर्ज पर कृषि प्रसंस्करण, भंडारण और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक 'किसान समृद्धि कॉरिडोर' का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
2. हम भंडारण क्षमता के नियोजित विकास के लिए प्रदेश के हर एक कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए कृषि लॉजिस्टिक्स परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेंगे।
3. हम एफपीओ या स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थापित और संचालित पैक हाउस के लिए 75% तक का पूंजी अनुदान प्रदान करेंगे।
4. प्रदेश में पर्याप्त क्षमता के सूखे भंडारण गोदामों की स्थापना की जाएगी।
5. गोदाम परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट दी जाएगी।
6. प्रदेश की कोल्ड स्टोरेज क्षमता को दोगुना किया जाएगा।
7. भंडारित कृषि उपज के सुविधाजनक व्यापार हेतु कृषि गोदामों को उप-बाजारों का दर्जा देकर ई-नाम से जोड़ा जाएगा।
8. हम प्रदेश की भंडारण सुविधाओं की एक डिजिटल इन्वेंटरी तैयार करेंगे जिसके तहत भंडारण के लिए उपलब्ध क्षमता की जानकारी किसानों को मोबाइल एप के माध्यम से दी जा सकेगी।
9. हम रीफर वैन पर वाहन-कर में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे।
10. इंदौर में शीघ्र ख़राब होने वाली कृषि उपज के भंडारण और परिवहन हेतु एक विशेष एयर फ्रेट परिसर की स्थापना निजी भागीदारी के माध्यम से की जाएगी।

11. कृषि मंडियों में सब्जियों और अन्य शीघ्र ख़राब होने वाली कृषि उपज के लिए अल्प-कालिक शीतिकरण सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

कृषि आय के अतिरिक्त स्त्रोत

1. प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को अगले 5 वर्षों में ढाई करोड़ टन तक बढ़ाने के लिए हम 'मिशन शुभ्र धारा' की शुरुआत करेंगे।
2. हम सभी इच्छुक किसानों और भूमिहीन मजदूरों को दुधारू पशुओं की खरीद के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु आचार्य विद्यासागर योजना का विस्तार करेंगे।
3. हम स्वयं सहायता समूह और एफपीओ के लिए दुग्ध प्रसंस्करण, शीतलन और भंडारण इकाइयों की स्थापना हेतु दी जाने वाली सब्सिडी को 75% तक बढ़ाएंगे।
4. हम रेफ्रिजेरेटेड दूध टैंकरों और परिवहन वाहनों के लिए वाहन-कर में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे।
5. स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को चारा और पशु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 50% तक की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
6. प्रदेश में पशु चिकित्सा पॉली-क्लिनिक्स की संख्या को अगले 5 वर्षों में तीन गुना बढ़ाया जाएगा और 100 नए पशु चिकित्सा अस्पतालों की स्थापना की जाएगी।
7. स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और प्रचार के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तर्ज पर 50 गोकुल ग्रामों का विकास अगले पांच वर्षों में किया जाएगा।
8. हम प्रदेश में सभी सुविधाओं से लैस गौशालाओं की संख्या को बढ़ाएंगे और प्रत्येक संभाग में गौ अभयारण्य की स्थापना करेंगे।
9. हम अगले 5 वर्षों में प्रदेश के मछली उत्पादन को 50,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाएंगे।
10. हम किसानों द्वारा अपनी खुद की भूमि में नए मत्स्यपालन तालाबों के निर्माण हेतु 3 हेक्टेयर तक 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी देंगे।
11. प्रदेश में उत्पादित मछली की खुदरा बिक्री को बढ़ावा देने हेतु ब्लॉक स्तर पर सुसज्जित और आधुनिक मछली बाजारों का निर्माण किया जाएगा और मत्स्यपालकों को आइस कूलर इत्यादि जैसे उपकरणों की खरीद के लिए 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
12. सभी मछुआरों को किसानों की तर्ज पर 'रुपे (RuPay) कार्ड' प्रदान किए जाएंगे।
13. कृषि-वानिकी को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए अप्रयुक्त भूमि और खेतों की मेड़ इत्यादि पर 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे।

नीतिगत और प्रशासनिक पहलें

1. हम 'राज्य कृषक आयोग' को पुनर्गठित कर, उसे किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन पर कृषि कैबिनेट को सलाह देने और निगरानी हेतु सशक्त करेंगे। आयोग के लिए स्थायी सचिवालय बनाकर उसे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ा जाएगा।
2. अगले पांच वर्षों में कृषि और संबंधित गतिविधियों में 50,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश लाने के लिए एक रोडमैप बनाने और सभी जरूरी नीतियों, योजनाओं और प्रोत्साहनों को लागू करने के लिए एक 'गहन कृषि निवेश मिशन' को शुरू किया जाएगा।

सिंचाई और जल संसाधन

1. हम 2.5 लाख करोड़ रुपयों के निवेश के माध्यम से प्रदेश के सिंचित क्षेत्र को अगले पांच वर्षों में दोगुना करेंगे।
2. हम भूमिगत जल स्त्रोतों से साथ-साथ सतही जल स्त्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे ताकि सतही स्त्रोतों की सिंचाई संबंधी संभावनाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।
3. हम पर्याप्त बजट के आवंटन के साथ जिन जिलों में अभी सिंचाई की और संभावनाएं हैं, उन जिलों में प्राथमिकता से सिंचाई की सुविधा प्रधान करेंगे।
4. हम अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पानी में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु रेन वाटर बैंक बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहयोग करेंगे।
5. हम मोहनपुरा (राजगढ़), कुंडालिया (राजगढ़), बानसुजारा (टिकमगढ़) जैसी निर्माणाधीन नहर परियोजनाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु उनको शीघ्रता से पूर्ण करेंगे।
6. कारम (धार), वैनगंगा, कड़ान (राहतगढ़), साजली (दमोह) और खरमेर (डिंडोरी) मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और ताप्ती-खंडवा लिंक परियोजना को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाएगा।
7. हम रामनगर (मंडला), नईगढ़ी (रीवा), चंदेरी (अशोकनगर) सुक्ष्म सिंचाई योजनाओं को तत्परता से पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
8. बुंदेलखंड पैकेज के तहत चल रही सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. हम जल संसाधनों के प्रभावी विनियमन और प्रबंधन के लिए एक वैधानिक 'राज्य जल नियामक प्राधिकरण' का गठन करेंगे।
10. संबंधित कमांड क्षेत्रों में जल संसाधनों के जनभागीदारी आधारित प्रबंधन के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या में वृद्धि कर 4,800 किया जाएगा।
11. मौजूदा बांधों और जलाशयों के लिए 'सिंचाई परियोजना सिडीमेंट प्रबंधन पॉलिसी' बनाकर मिशन मोड पर एक 'सिडीमेंट प्रबंधन कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा। सिंचाई संरचनाओं की भंडारण क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए एक समयबद्ध डीसिल्टिंग प्लान बनाया जाएगा।
12. तालाबों से तलछट को हटाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को तालाबों से तलछट निकालकर और बेचकर अतिरिक्त आय पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
13. खेत और खेत-क्लस्टर स्तर पर नई सिंचाई तकनीकों के प्रचार और विस्तार एवं प्रदर्शन के लिए जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक विशेष एजेंसी स्थापित की जाएगी।

विशेष फसलों संबंधी पहलें

आलू और प्याज

1. आलू और प्याज के प्रसंस्करण और विकास हेतु 'ऑपरेशन ग्रीन्स' को प्रदेश में तेजी से लागू किया जाएगा।

2. आलू के कोल्ड स्टोरेज में भंडारण का व्यय कम करने हेतु किसानों को भंडारण शुल्क पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3. प्याज भंडारण इकाइयों की क्षमता को दोगुना किया जाएगा।
4. रेल से अन्य राज्यों में प्याज के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु उज्जैन में पीपीपी मोड में 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता की प्याज भंडारण और लंबी दूरी के लिए पैकेजिंग सुविधा बनाई जाएगी।

बांस

1. बांस को कृषि मंडी कानून के दायरे से बाहर किया जाएगा।
2. अगले 5 वर्षों में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. खाद्य उत्पाद के रूप में कच्चे और तैयार बांबू शूट्स के उत्पादन, प्रचार और विपणन के लिए एक विशेष योजना शुरू की जाएगी।

लहसुन

1. लहसुन ग्रेडर, ब्रशर्स और पीलर्स की खरीद के लिए एफपीओ/ स्वयं सहायता समूहों को 75% सब्सिडी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
2. लहसुन के बेहतर पैकेजिंग को बढ़ावा देने हेतु प्लास्टिक के बुने हुए बैग्स की खरीद पर लहसुन किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।

सर्वोत्तम शिक्षा से समृद्धि की ओर

विकास के कीर्तिमान

हमारे प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र व्यापक है, वनवासी क्षेत्र की बसाहट भी अलग-अलग मजरों-टोलों के रूप में है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी किंतु हमने इसे स्वीकार किया। आज हम दावा कर सकते है कि हमने प्राथमिक शिक्षा को हर गांव तक पहुँचाने में सफलता अर्जित की है। पिछले 15 वर्षों में 27,910 नवीन प्राथमिक शालाएं खोलकर 20 लाख बच्चों तक शिक्षा की किरण पहुँचाने का कार्य हमने किया है। बच्चों को स्कूल तक लाने का अभियान व्यापक स्तर पर चलाया है। इसी तरह स्कूलों का उन्नयन का क्रम भी प्रतिवर्ष किया है। परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 83,800, माध्यमिक शालाओं की संख्या 30,341, हाई स्कूलों की संख्या 4,740 एवं हायर सेकेंडरी शालाओं की संख्या 3,815 हो गई है। जिसमें आज कुल 1 करोड़ 45 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूलों की संख्या के साथ-साथ शिक्षकों की भर्ती भी चलती रही है। हमने पूर्व से चली आ रही शिक्षाकर्मी संस्कृति को समाप्त किया है और अध्यापक, शिक्षक, व्याख्याता सभी स्तरों पर भर्ती की गई है जो अभी भी चल रही है। गणवेश, निशुल्क पुस्तक, बालक-बालिकाओं को साइकिल, लैपटॉप आदि प्रोत्साहन योजनाओं से हम प्रदेश को सुसंस्कारित एवं सुशिक्षित बनाने का प्रयास है। हमने शाला भवनों की कमियों को दूर कर फर्नीचर, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर-प्रयोगशालाएं आदि साधन उपलब्ध करवाये हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश में 1,219 महाविद्यालय तथा 22 शासकीय विश्व विद्यालय है, साथ ही 29 अशासकीय विश्वविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। हमारे प्रयासों से प्रदेश के छात्रों ने भी अच्छे अंको में परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं हैं। विशेषकर छात्राओं ने सदैव मेरिट में बाजी मारी हैं।

आरंभिक शिक्षा

1. आंगनवाड़ी से प्राथमिक स्कूलों में बेहतर संक्रमण दर सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों को आधुनिक भवनों के साथ निकटतम प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में सह-स्थित किया जाएगा।
2. आरंभिक शिक्षा संप्राप्तियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रशिक्षण और मूल्यांकन हेतु एक व्यापक ढाँचा बनाया जाएगा और उसे एक वर्ष के भीतर लागू किया जाएगा।
3. आंगनवाड़ी में उपयोग की जाने वाली आरंभिक शिक्षा किट में अतिरिक्त शिक्षण सामग्री शामिल की जाएगी और सभी आंगनवाड़ियों को मिशन मोड पर यह किट प्रदान की जाएगी।

सर्वसुलभ शिक्षा

1. सामान्य वर्ग के भी गरीब परिवारों के बच्चों की कक्षा एक से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।
2. देश में प्रतिष्ठित संस्थानों में दाख़िला लेने वाले छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू की गई हमारी सफल मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का शिक्षा शुल्क के साथ-साथ अन्य शुल्क, किताबों का खर्च और प्रवास व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए विस्तार किया जाएगा।
3. मेधावी छात्र योजना के तहत प्रतिष्ठित अंतराष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले मेधावी छात्रों को भी लाभ दिया जाएगा।

आधारभूत संरचना

1. विश्व स्तरीय स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल कक्षाओं, टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और आधुनिक आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित 100 नए 'विद्या उपसना स्मार्ट विद्यालयों' की स्थापना की जाएगी।
2. एक परिसर-एक शाला योजना का विस्तार कर सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
3. 'सुलभ शिक्षा संकल्प' नामक मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत:
    - सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सुसज्जित भवनों और सीमा दीवारों का निर्माण किया जाएगा
    - स्कूल भवनों का नियमित रखरखाव और मरम्मत की जाएगी
    - सभी स्कूलों में वॉश सुविधाओं की संपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी
4. सभी स्कूलों को प्राथमिकता से बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और एक वर्ष के भीतर सभी स्कूलों में पर्याप्त कंप्यूटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
5. हम स्कूली बुनियादी ढांचे की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए सिविल वर्क्स निगरानी और प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करेंगे और एक सुनियोजित रखरखाव समयसारिणी के साथ एकीकृत करेंगे।

6. प्रदेश में स्कूली बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने हेतु शाला सम्मान योजना का विस्तार किया जाएगा और सीएसआर संसाधनों के उपयोग हेतु ट्रायफैक (TRIFAC) के माध्यम से 'स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन फंड' की शुरुआत की जाएगी।
7. अच्छी गुणवत्तावाले स्कूलों को अन्य स्कूलों के साथ जोड़कर शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा पद्धती के प्रसार हेतु 'सिस्टर-स्कूल' अवधारणा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा।
8. पुराने विद्यालयों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण कर 5 वर्ष में एक बार नवीनीकरण किया जाएगा।
9. नगरीय क्षेत्र में चल रहें पुराने अशासकीय विद्यालयों में जमीन की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी।
10. हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
11. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को अनुकूल करने के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त भर्तियाँ की जाएंगी।
12. अशासकीय विद्यालयों को फीस के नियमों में विसंगतियों को दूर किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा

1. हम बेहतर शिक्षा अवसरों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे।
2. सरकारी महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने हेतु हम 'निरंतर गुणवत्ता सुधार प्रकोष्ठ' का गठन करेंगे।
3. हम प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों के तर्कसंगतीकरण और संतुलित शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान संस्थानों और उनके पाठ्यक्रमों की व्यापक समीक्षा करेंगे।
4. जिलों में आईटीआई संस्थाओं की संख्या को दोगुना कर उस क्षेत्र के उद्योगों पर आधारित ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. 2 इंजीनियरिंग एवं 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' की तरह उन्नत किया जाएगा।
6. इंजीनियरिंग एवं पोलेटेक्निक व IT। संस्थाएं प्लेसमेंट सेंटर स्थापित कर उद्योगों से सीधा जोड़ा जाएगा।
7. हम सभी सरकारी महाविद्यालयों में व्याख्यान कक्षों और सभागारों को स्मार्ट कक्षाओं में रूपांतरित करेंगे जिससे देश-विदेश के विशेषज्ञों द्वारा पाठ्यक्रम विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाए जा सके और देश-विदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को इसमें शामिल करने के लिए 'विश्व गुरुकुल' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
8. सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में ई-लायब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी।

अन्य पहलें

1. शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा को विशिष्ट स्थान दिया जाएगा।
2. हम 'मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी' में नए पाठ्यक्रमों को शुरू करेंगे और इंटरनेट और ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से शिक्षा सामग्री को छात्रों के लिए और सुलभ बनाएंगे।
3. हम सुसज्जित पुस्तकालयों, किताबों की ऑनलाइन उपलब्धता और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के बीच पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु एक नया कार्यक्रम शुरू करेंगे।
4. हम स्कूल प्रबंधन समितियों की बैठकों और स्कूल विकास अनुदान और शिक्षा सामग्री अनुदान के उपयोग की निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली शुरू करेंगे।

भविष्य का युवा, भविष्य का रोज़गार सृजन

विकास के कीर्तिमान

जनसंख्या में युवाओं का बढ़ता प्रतिशत जहां एक ओर किसी भी राष्ट्र के लिए शक्ति होता है। वहीं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक चुनौती होती है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चुनौती के साथ इसे अवसर भी मानती है कि इन्हें प्रदेश के विकास में कैसे भागीदार बनाया जाए और यह हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने स्वरोज़गार, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर नए रोज़गारों के सृजन के लिए एक अनुकूल तंत्र बनाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाओं ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाओं में युवक-युवतियों को आवश्यक प्रशिक्षण, सस्ते कर्ज एवं अनुदान आदि के माध्यम से सक्षम एवं स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है।

पिछले कुछ वर्षों में खेल के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मध्यप्रदेश के खिलाड़ी उभरे हैं। खेल अकादमियों के माध्यम से नये प्रतिभावान खिलाड़ी मध्यप्रदेश को गौरान्वित कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं ।

1. प्रदेश की जनसंख्या विकास दर के साथ रोजगार के अवसरों की तलाश करते हुए, जिसमें 15 वर्ष की आयु वर्ग को जोड़कर 'सभी के लिए पढ़ाई – सभी के लिए कमाई" का विस्तृत रोड़ मेप तैयार किया जाएगा।
2. 'हर हाथ, एक काज योजना' के तहत प्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति, जो बेरोजगार है, को उनकी क्षमता और कौशल के अनुसार सम्मानजनक सामाजिक सरोकार के कार्य, जैसे कि वृक्षारोपण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जोड़कर, उनके लिए आय सुनिश्चित की जाएगी।
3. हम एक एकीकृत जॉब पोर्टल बनाएंगे जिससे नौकरी लेनेवाले और नौकरी देनेवाले जुड़ेंगे और युवाओं को रोजगार के सभी उपलब्ध अवसरों की जानकारी मिलेगी।

स्टार्टअप और उद्यमिता

1. अभिनव कल्पनाओं और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और निजी निवेशकों के माध्यम से 10 नए प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे और इन इनक्यूबेटर्स की स्थापना करने हेतु 1 करोड़ रुपयों तक का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
2. इनक्यूबेशन सेंटर को उपलब्ध मेंटरशिप सब्सिडी को मौजूदा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया जाएगा।
3. कानून, चिकित्सा और अनुपालन सहायता उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए रीवा, खंडवा और गुना में वर्कस्टेशन, कॉन्फरेंस रूम, हाई-स्पीड इंटरनेट और वीडियो एवं टेलीकॉन्फरेंसिंग सुविधाओं से सुसज्जित 3 नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (KPO) कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे।
4. उद्यमियों के लिए अनुभव साझा करने और परस्पर संवाद को सुविधाजनक बनाने हेतु 'मध्य प्रदेश इंट्रेप्रेनुएर्स नेटवर्क' की स्थापना की जाएगी।

इनोवेशन

1. विज्ञान और तकनीकी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले सभी सरकारी कॉलेजों में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
2. प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं सरकारी शिक्षा संस्थानों द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों के पूर्ण खर्च की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. आविष्कारक द्वारा संचालित अपने पेटेंट पर आधारित उत्पादन संबंधी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
4. प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पीयर-रीव्यूड पत्रिकाओं में शोध पेपर प्रकाशित करने वाले राज्य के किसी भी निवासी को 10,00,000 रुपयों का नकद इनाम दिया जाएगा।

स्वरोज़गार

1. जो अपने व्यापार के विस्तार के लिए अतिरिक्त ऋण चाहते हैं, ऐसे मुद्रा योजना के 5,00,000 लाभार्थियों को हम अतिरिक्त ऋण के लिए सहायता प्रदान करेंगे।
2. हर साल 50,000 लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना का हम विस्तार करेंगे और इन योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपयों का वार्षिक बजट सुनिश्चित किया जाएगा।

कौशल विकास

1. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना की जाएगी।
2. पारंपरिक व्यवसायों संबंधी प्रशिक्षण और इन व्यवसायों को अन्य कौशल कार्यक्रमों के समकक्ष बनाने हेतु एक राज्यस्तरीय 'कारीगर यूनिवर्सिटी' की स्थापना की जाएगी।
3. सभी 49 मौजूदा रोजगार एक्सचेंजों को मॉडल कैरियर केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा।
4. उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों की उपलब्धता में वृद्धि हेतु सतना में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा।
5. अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से 50,00,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से "रोजगार के लिए तैयार" बनाया जाएगा।
6. हमारी सफल मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का विस्तार कर हम सालाना 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे।
7. सभी आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में सॉफ्ट स्किल्स पर एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा जो मुख्य पाठ्यक्रमों के साथ सभी उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा।

भविष्य के लिए रीस्किलिंग

1. हम निजी उद्योगों की भागीदारी से प्रदेश के सभी श्रमिकों और कुशल युवाओं की पहचान कर उनकी कौशल क्षमता को बढ़ाने और उन्हें अर्थव्यवस्था में आनेवाले बदलावों के अनुकूल अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रदान करने हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करेंगे।
2. राज्य के बड़े उद्योगों और व्यवसायों के आंतरिक कौशल प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाएगा जिससे वर्तमान और भावी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अवसर और करियर संभावनाओं में पारदर्शिता आ सके।
3. अपने कर्मचारियों को NSQF अर्हता स्तर पर आगे बढ़ने में सहायता करने हेतु अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रम चलाने के इच्छुक लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अपरेंटिसशिप

1. हम संभावित उम्मीदवारों तक अप्रेंटिसशिप संबंधी सूचना प्रसार और परामर्श प्रदान करने हेतु रोजगार एक्सचेंजों की सूचना प्रणालियों में अप्रेंटिसशिप अवसरों संबंधी जानकारी भी शामिल करेंगे।
2. पूरे प्रदेश में स्थित उद्योगों को 6 महीनों तक और चिह्नित क्लस्टरों में स्थित उद्योगों को 1 साल तक अपरेंटिस रखने की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

खेल

1. विकास खण्ड़ स्तर तक खेलों का वार्षिक केलेण्ड़र तैयार कर खेल आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश खेल विभाग के "हम छुएंगे आसमान" के माध्यम से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में भागीदारी बढ़ाने हेतु रणनीति बनाई जाएगी।
2. सभी सरकारी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
3. शालाओं में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दो साल के भीतर सभी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक सुसज्जित खेल किट प्रदान की जाएगी।
4. 10 प्रमुख ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को छोटी उम्र से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हम रायसेन में एक 'कप्तान रूप सिंह बैंस स्पोर्ट्स प्रिपरेटरी स्कूल' की स्थापना करेंगे, जिसमें खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ शैक्षिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई और आवासीय सुविधाएं भी होंगी।
5. छात्रों के बीच छोटी उम्र में ही खेल प्रतिभा की पहचान करने के लिए मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के तहत एक विशेष 'खेल प्रतिभा टैलेंट स्पॉटर' टीम बनाई जाएगी।
6. प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों के पैनल का विस्तार किया जाएगा और प्रशिक्षकों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन के प्रावधान के साथ 'कोच प्रबंधन और मूल्यांकन प्रणाली' स्थापित की जाएगी।
7. जिलास्तर पर खेल विकास समितियां गठित की जाएंगी।
8. ग्रामीण युवा समन्वयक को मानदेय के साथ खेल संबंधी उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।
9. प्रत्येक पंचायत को प्रति वर्ष खेल सामग्री हेतु अलग से धनराशि दी जाएगी।
10. जमीनी स्तर की प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री एवं विधायक कप खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।
11. राष्ट्रीय स्तर के खेल शिविरों में चयन होने पर प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा।
12. राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड बनाने पर खिलाड़ियों और उनके कोच के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा।
13. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की सुविधा के लिए TRIFAC के माध्यम से 'स्पोर्ट्स हीरो स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा।
14. चोटिल होने के कारण खेलने में स्थाई रूप से अक्षम खिलाड़ियों के लिए 'स्पोर्ट्स इंजरी इंश्योरेंस स्कीम' शुरू की जाएगी।

15. हम रियायती दरों पर भूमि प्रदान कर खेल सुविधाओं के निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और ऐसे निर्माण का एक हिस्सा सरकार द्वारा चिह्नित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के उपयोग के लिए आरक्षित होगा।
16. हम पुलिस विभाग के भीतर खेल प्रतिभा की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रतिभा पहचान कार्यक्रम शुरू करेंगे।

उद्योग से समृद्धि के नए अवसर

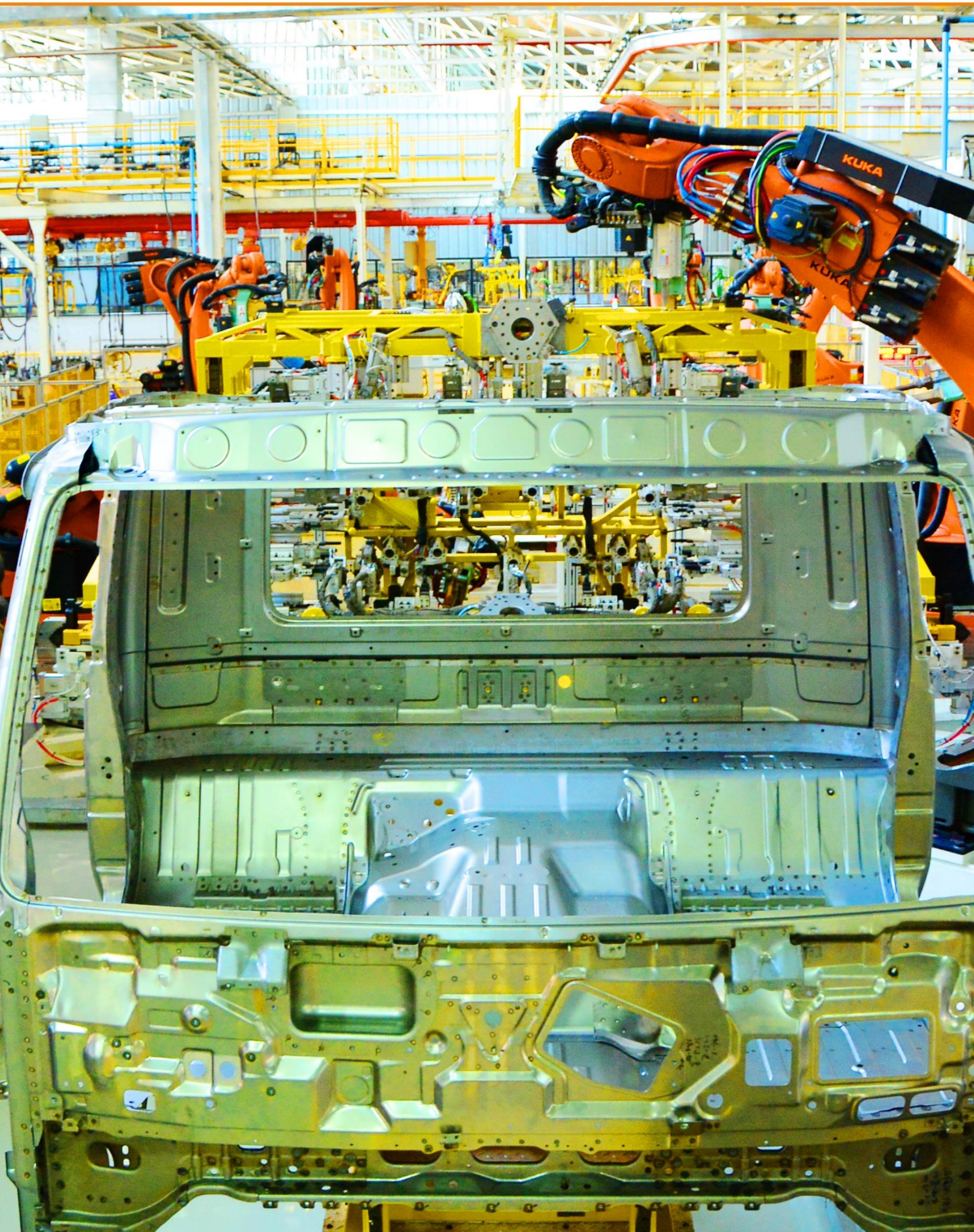

विकास के कीर्तिमान

कृषि के विभिन्न आयामों के पश्चात सर्वाधिक रोज़गार एवं आर्थिक गतिविधि का सृजन करने वाला क्षेत्र उद्योग है। जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो बड़े, मध्यम, लघु, सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों सहित सभी संलग्न प्रक्षेत्र इसमें आ जाते हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावना, हमारी सरकार की नीतियां एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में उद्योग लग रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रो में पर्याप्त बिजली की सुविधा, पानी की उपलब्धता एवं विकसित औद्योगिक अधोसंरचना के फलस्वरूप लगभग सभी औद्योगिक घरानों ने यहां उद्योग लगाने में न केवल अपनी रूचि दिखाई है बल्कि अनेक संयंत्रों में उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में उद्योग में नए क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। 2003 के पहले जहां प्रदेश में सिर्फ 8,000 करोड़ का पूंजी निवेश था, आज वह बढ़कर 2 लाख करोड से अधिक हो गया है तथा लाखों की संख्या में रोज़गार (मानव श्रम दिवस) सृजित हुए हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढावा देने के लिए अलग से विभाग का गठन किया गया है। साथ ही नई तकनीक के साथ बड़े उद्योग भी तेजी से लग रहे हैं। प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नस की रैंकिंग में देश के प्रमुख राज्यों में स्थान बनाया है और कई क्षेत्रों में निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। प्रदेश में अनेक उद्योग परियोजनाएं कार्यरत हैं एवं कुछ आकार ले रही हैं।

- डी.एम.आर.सी. विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन
- जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क, इंदौर
- मोहसा, बाबई (होशंगाबाद)
- जापान इंडस्ट्रियल टाउनशीप, पीथमपुर
- पाण्डोर, शिवपुरी
- प्लास्टिक पार्क, तामोट (रायसेन)
- नमकीन क्लस्टर, करंदी (रतलाम)
- नवीन औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुर (मुरैना)
- बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल
- औद्योगिक क्षेत्र, अचारपुरा (भोपाल)

औद्योगिक निवेश

1. फरवरी 2019 में होनेवाले 'ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट' के साथ हम 'उन्नत मध्य प्रदेश निवेश अभियान' की शुरुआत करेंगे जिसका समर्पित लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना होगा।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस

1. हम राज्य में 10,000 या उससे अधिक रोज़गार निर्माण करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष 'उच्च रोजगार उद्योग नीति' का निर्माण करेंगे।
2. निवेशकों द्वारा प्रस्तावित निवेश के कार्यान्वियन में आने वाली मुश्किलों का हल करने और उन निवेशकों के साथ सतत समन्वय बनाने हेतु एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में सशक्त 'निवेशक सुविधा समिति' गठित की जाएगी।
3. अनुमोदित निवेश परियोजनाओं से संबंधित शिकायत निवारण के लिए 72 घंटों के आश्वासित रिस्पांस टाइम के साथ एक डिजिटल 'मुख्यमंत्री हॉटलाइन' की स्थापना की जाएगी।
4. हम औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे और इस प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बाहरी निरीक्षकों और उद्योगों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
5. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों और औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा आवंटित, लेकिन लंबे समय से अप्रयुक्त औद्योगिक भूखंडों का पुनः अधिग्रहण कर उपलब्ध ज़मीन को नए उद्योगों के लिए समेकित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विकास

1. हम सहायक और फीडर उद्योगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 7 नए लघु और मध्यम उद्योग क्लस्टर्स विकसित करेंगे।
2. क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित करने, विपणन सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन परामर्श और ख़रीददार इंटरैक्शन सुलभ करने हेतु प्रत्येक क्लस्टर में पीपीपी मोड में 'व्यापार सहायता और सुविधा केंद्र' स्थापित किया जाएगा।
3. हम विक्रेता विकास कार्यक्रम का विस्तार करेंगे और उसे 40,000 सूक्ष्म उद्योगों समेत 1,00,000 लघु और मध्यम उद्योगों तक पहुंचाएंगे।

व्यापार और व्यापारी

1. 'व्यापार संवर्धन बोर्ड' का विस्तार प्रदेश के प्रत्येक जिले तक कर, 'व्यापारी और व्यापार कल्याण समिति' का गठन किया जाएगा।
2. छोटे व्यापारियों के लिए नए अवसर निर्माण करने हेतु उन्हें बेहतर मार्केटिंग, सुलभ वित्तीय सहायता और ऋण उपलब्धता हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे।

3. व्यापार के जोखिम को कम करने हेतु दुर्घटना, आग या अन्य आकस्मिक घटनावश व्यापारियों को दी जानेवाली क्षतिपूर्ति को बढ़ाया जाएगा और व्यापार बीमा के प्रीमियम में सरकार द्वारा अंशदान दिया जाएगा।
4. प्रदेश में जीएसटी मित्रों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से जीएसटी रिटर्न भरने में व्यापारियों की सहायता की जाएगी।
5. व्यापार सम्मान निधि को मूर्तरूप देते हुए प्रदेश में व्यापार सम्मान निधि कोष की स्थापना की जाएगी।
6. हम विदेश से उत्पाद विक्रय एवं व्यापार को सुगम बनाने हेतु प्रदेश में उत्पाद बोर्ड का गठन करेंगे।
7. व्यापारियों के लीज रिन्यूवल प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाएगा।
8. खाद्य एवं नाप-तौल विभाग के निरीक्षकों के क्षेत्राधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

फोकस सेक्टर में गहन निवेश

1. हम मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्राप्त लाभों को आगे बढ़ाएंगे और विभिन्न फोकस क्षेत्रों के लिए हमारी सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश नीतियों के लाभों को और सुदृढ़ करेंगे।
2. मौजूदा औद्योगिक क्लस्टर्स के अलावा, निवेशकों के लिए विश्वस्तरीय प्रोत्साहनों के साथ 12 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिनमें इनोवेशन और नई तकनीक के हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
3. मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना और विभिन्न सेक्टर संबंधी नीतियों के तहत वर्तमान प्रोत्साहनों का लाभ नई इकाइयों को भी दिया जाएगा और कुछ अतिरिक्त सामान्य और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

सामान्य प्रोत्साहन

1. हम चिन्हित क्लस्टर्स में स्थित सभी उद्योगों के लिए सफल पेटेंट आवेदनों की लागत की 100% प्रतिपूर्ति करेंगे।
2. हम चिन्हित क्लस्टर्स में औद्योगिक भूमि के लिए 1.5 का एफएसआई प्रदान करेंगे और अप्रयुक्त एफएसआई को हस्तांतरणीय अधिकारों के रूप में परिवर्तित कर शहरी क्षेत्रों में उनके उपयोग के लिए एक तंत्र विकसित करेंगे।
3. चिन्हित क्लस्टर्स के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए 'प्रोजेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज' की पहचान की जाएगी, जिसमें क्लस्टर क्षेत्र के बाहर स्थित आवश्यक बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा, और इस पैकेज को प्राथमिकता से निष्पादित किया जाएगा।
4. नई इकाइयों के लिए लागू सभी प्रोत्साहन विस्तार में निवेश कर रही मौजूदा इकाइयों पर भी लागू रहेंगे, यदि इस विस्तार से 1,000 से अधिक अतिरिक्त रोज़गार निर्मित हो रहे हों या यह विस्तार पूरी तरह अनुसंधान संबंधित हो।

कटनी-जबलपुर और ग्वालियर-दतिया-भिंड-मुरैना में डिफेंस प्रोडक्शन क्लस्टर

1. उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की निकटता का लाभ उठाने हेतु डिफेंस प्रोडक्शन क्लस्टर का विकास किया जाएगा।
2. 75 एकड़ तक भूमि (और संलग्न इकाइयों के लिए 25 एकड़ की अतिरिक्त भूमि) 10% की रियायती दरों पर प्रदान की जाएगी।
3. भूमि के विकास की लागत की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
4. स्टेंप ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।
5. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का 100% रिफंड प्रदान किया जाएगा।
6. प्रस्तावित उद्योगों के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी और मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की लागत की पूर्ण प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

पैन-स्टेट खाद्य प्रसंस्करण कॉन्स्टीलेशन

1. प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहनों के साथ 7 खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टरों का निर्माण करेंगे, जिनमें सागर में दलहन, सीहोर में गेहूं, सतना में धान, मंदसौर और नीमच में लहसुन, धार में केला, शाजापुर में संतरा और पिपरिया में सब्जी के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा।

छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्लस्टर

1. फर्नीचर उद्योगों को विपणन और निर्यात अनुपालन सहायता के लिए एक अत्याधुनिक व्यापार सुविधा केंद्र पीपीपी मोड में स्थापित किया जाएगा।
2. फर्नीचर डिज़ाइन, आधुनिक बाजारों के लिए पारंपरिक डिज़ाइनों के अनुकूलन और रेडी-टू-असेंबल फर्नीचर डिज़ाइन में प्रशिक्षण के लिए 'फर्नीचर डिज़ाइन संस्थान' स्थापित किया जाएगा।

बालाघाट में बांस का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्लस्टर

1. बांस उद्योगों को विपणन और निर्यात अनुपालन सहायता के लिए एक अत्याधुनिक व्यापार सुविधा केंद्र पीपीपी मोड में स्थापित किया जाएगा।
2. बालाघाट में बांस संबंधी अनुसंधान के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया जाएगा।
3. अगर बांस और बांस उत्पादों के गोदामों में भंडारण क्षमता का 80% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित किया जाता है, तो ऐसे गोदामों के निर्माण हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

पैन-स्टेट फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर

1. फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस उद्योगों को स्टेंप ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।
2. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का 100% रिफंड प्रदान किया जाएगा।
3. अनुसंधान संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना और औषधि पौधों पर आधारित फार्मास्यूटिकल्स को समर्पित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
4. क्लिनिकल परीक्षणों और दवा अनुमोदन प्रक्रियाओं पर किए गए खर्च पर 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

आधारभूत संरचना बने समृद्धि का आधार

विकास के कीर्तिमान

जब हम यह दावा करते हैं कि हमारी सड़कें अनेक राज्यों की तुलना में बेहतर और सुविधाजनक हैं, तब हमें आज से 15 साल पहले कांग्रेस राज की सड़को के गड्ढों को भी याद करना चाहिए। बाहर के राज्यों से आने वाले लोग सड़कों की हालत से समझ जाते थे कि वो मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। सड़को की दुर्दशा के कारण प्रदेश विकास के मामले में 10 वर्ष पिछड़ गया था। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी। आज जब हम औद्योगिक विकास, बढ़ते व्यापार तथा पर्यटकों का मध्यप्रदेश के प्रति आकर्षण देखते हैं, तो उसका मुख्य कारण प्रदेश भर में उत्कृष्ट और शानदार सड़कों का विस्तृत जाल है। प्रदेश में पिछले वर्षों में कुल 1.50 लाख किलोमीटर सड़के 75 हजार करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित हुई हैं। कांग्रेस के 60 वर्ष की सड़कों की तुलना में 15 वर्ष के सड़क निर्माण के आंकड़े स्वयं साक्षी हैं। प्रदेश में 2 हजार किलोमीटर की स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे की फोर-लेन सड़के बन चुकी हैं तथा 1,200 किलोमीटर निर्माणाधीन है। विभिन्न मार्गों पर कुल 1,449 पुल या फ्लायओवर ब्रिज बनाए जा चुके हैं तथा अनेक पुल एवं फ्लायओवरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

पंद्रह वर्ष पहले यह प्रदेश 'अंधेरे' के लिए जाना जाता था। बाजार अंधेरें में डुबे हुए, दुकानों पर टिमटिमाते इन्वर्टर से चलने वाले एक दो बल्ब या धुंआ छोडते जनरेटर की गूंजती आवाजें। लेकिन आज परिदृश्य बदला हुआ है। दिन हो या रात, शहर और गांवो के घर 24 घंटे बिजली से रोशन हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी विद्युत उपकरणों की सुविधा का उचित लाभ ले रहे हैं । प्रदेश के कृषि विकास में उच्च स्थान को प्राप्त करने में विद्युत आपूर्ति सबसे बड़ा कारक रहा है। प्रदेश में 2003 में जहां 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, आज वह 18,364 मेगावाट हो गया है और अब हमारा लक्ष्य सन 2020 तक 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का है। आज पर्याप्त बिजली आपूर्ति के कारण जनरेटर में लगने वाले 40 से 80 हजार रुपये तक के सालाना डीजल के खर्च से किसानों को सीधे राहत मिल रही है। सिंचाई हेतु किसानों को 1,400 रुपए प्रति हार्सपावर, वह भी वर्ष में दो किश्तों में विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के 77 लाख परिवारों का 6,000 करोड़ रुपयों का बिल माफ किया गया है। किसानों एवं श्रमिकों के 3 लाख से ज्यादा प्रकरण अदालतों से वापिस कर, राहत दी गई है। सौभाग्य योजना का लाभ प्रदेश वासियों को देते हुए 19.70 लाख घरों तक रोशनी पहुँचाई गई है। अब 50 लाख श्रमिक परिवारों को 200 रुपये मासिक पर विद्युत सुविधा भी उपलब्ध होगी। जनहित में ऐसे अनेक क्रांतिकारी कदम उठाये गये हैं, जिसमें गरीब व्यक्ति का केवल घर ही नहीं जिंदगी भी रोशन हो सकेगी।

प्रदेश में नगरीय बसों के अलावा अंतरनगरीय बस सेवा प्रारंभ की गई है, जिससे नागरिकों को निकटतम बड़े नगर तक नौकरी, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आने-जानेवाले और शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को सुविधा प्राप्त हो रही है। ग्रामीण वाहन सेवा के परमीट देने से आवागमन के साथ ही हजारों लोगों को रोज़गार सुविधा उपलब्ध हो रही है। परिवहन के क्षेत्र में अनेक नए कार्यक्रम हाथ में लेकर यात्रियों को अनेक सुविधाऐं प्रदान की गई हैं।

निर्बाध संचार व्यवस्था

1. यात्रा का समय, निष्क्रियता काल, इंधन लागत और कार्बन उत्सर्जन जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए यातायात के सभी साधनों के लिए व्यापक मानक तय किए जाएंगे और इन मानकों को भविष्य की सभी यातायात परियोजनाओं का आधार बनाया जाएगा।
2. हम सिंगरौली, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, खंडवा, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर और मुरैना में मल्टी-मोडल परिवहन लिंक विकसित करेंगे।

सड़क यातायात

1. हम निर्बाध सड़क संचार के लिए 'अटल समृद्धि माला (कॉरिडोर)' नामक एक व्यापक कनेक्टिविटी योजना शुरू करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य बाज़ारों और सामाजिक सेवाओं को सुलभ बनाना होगा। इस योजना के तहत, अगले पांच वर्षों में, हम निम्नलिखित कार्य करेंगे:
   - सड़कों की सघनता को बढ़ाकर 1,300 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा
   - भारतमाला परियोजना के तहत 2,900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा
   - विश्वस्तरीय गुणवत्ता के इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे और ग्वालियर-चंबल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा
   - 2,500 किलोमीटर लंबे टू-लेन राजमार्गों को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा
   - 1,500 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को टू-लेन में परिवर्तित किया जाएगा
   - सभी गांवो और बसाहटों तक कनेक्टिविटी के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा
   - मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी लगभग 15,000 किलोमीटर बजरी सड़कों का डामरीकरण 4,000 करोड़ रुपयों की लागत से किया जाएगा
   - जिला मुख्यालयों को निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले सभी राज्य राजमार्गों को पीपीपी मोड में 4-लेन हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा
   - निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली (ETC) को फास्ट टैग के साथ एकीकृत किया जाएगा
   - प्रदेश की सीमाओं पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए एकीकृत सीमा चेकपॉस्ट बनाने के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा

जलमार्ग

1. प्रदेश की कृषि उपज और अन्य औद्योगिक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समुद्र किनारे जमीन प्राप्त कर 'मध्य प्रदेश समृद्धि पोर्ट' का निर्माण किया जाएगा।
2. मध्य प्रदेश समृद्धि पोर्ट और अन्य बंदरगाहों का औद्योगिक विकास के लिए पूर्ण लाभ लेने हेतु हम प्रदेश में बंदरगाह उन्मुख लोजिस्टिक्स और संचार व्यवस्था का विकास करेंगे।

3. हम राज्यान्तरिक यातायात और मल्टी-मोडल लोजिस्टिक्स नेटवर्क को और व्यापक बनाने के लिए नर्मदा नदी पर राज्य जलमार्गों के विकास की संभावनाओं का आकलन करेंगे।

हवाई संपर्क

1. भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के लिए विस्तारित और विकसित किया जाएगा।
2. उड़ान योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों के अतिरिक्त एयरलाइंस को अतिरिक्त 10% वीजीएफ फंडिंग प्रदान कर हम उज्जैन, रतलाम, रीवा, दतिया, सिंगरौली और उमरिया को उड़ान योजना के तहत जोड़ेंगे।
3. हम राज्य में हवाई सेवाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए राज्यान्तरिक सेवाओं के लिए न्यूनतम यात्री सीटों और गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए राज्य के बाहर परिवहन के लिए कार्गो टनेज की हामीदारी करेंगे।
4. एयरलाइंस को अतिरिक्त उड़ानों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंदौर और भोपाल के अलावा सभी हवाई अड्डों/ हवाई पट्टियों के लिए एटीएफ पर वैट को घटाकर 1% किया जाएगा और इंदौर और भोपाल हवाई अड्डों के लिए एटीएफ पर वैट को घटाकर 12% कर दिया जाएगा।

ऊर्जा

सुलभ गुणवत्तापूर्ण बिजली

1. कृषि और गैर-कृषि फीडर को अलग करने का काम अतिशीघ्र पूर्ण होगा।
2. हम कृषि उपयोग के लिए 12 घंटे (न्यूनतम 6 घंटे दिन में) और घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

कृषि के लिए बिजली

1. रबी में बिजली की अतिरिक्त मांग के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम ग्रिड से सुनियोजित और समयोचित बिजली की व्यवस्था के लिए योजना बनाएंगे।
2. 'मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना' के तहत 10 लाख अतिरिक्त कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
3. कम गुणवत्ता की बिजली के कारण मोटर के जल जाने पर हम किसानों को मुआवजा देने के लिए एक नई योजना शुरू करेंगे।
4. कृषि के लिए बिजली आपूर्ति हेतु उपयोग किए जानेवाले अंतिम-मील वितरण ढाँचे का उन्नयन कर उसे बेहतर और सुरक्षित बनाया जाएगा।

बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता

1. प्रदेश की सभी बिजली कंपनियां के नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु 'स्मार्ट ग्रिड परिप्रेक्ष्य योजना' तैयार कर उस पर प्रभावी अमल किया जाएगा।
2. हम बिजली बिल संग्रहण को सुलभ और प्रभावी बनाने हेतु 'आभा विद्युत मित्र योजना' का प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करेंगे।
3. बेहतर सतर्कता और संग्रहण तंत्र के माध्यम से वितरण कंपनियों के ए टी एंड सी घाटे को 15% तक कम किया जाएगा।

रसोई गैस

1. उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

अक्षय और नवकरणीय ऊर्जा

1. हम नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता को 13,000 मेगावॉट तक बढ़ाएंगे।
2. लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर सब्सिडी बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की जाएगी और अगले 5 वर्षों में 400 मेगावॉट की अतिरिक्त लघु जल विद्युत क्षमता का निर्माण किया जाएगा।
3. हम गोबर-धन योजना के तहत बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे।
4. हम स्वयं सहायता समूह और एफपीओ द्वारा बायोमास गैसीफिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेंगे।

परिवहन

1. मध्य प्रदेश इंटर-सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा और पुरे प्रदेश में आधुनिक इंटर-सिटी बस टर्मिनल्स के विकास और उनको सुविधा से सुसज्जित करने हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
2. दुर्घटना वाले स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार राज्य मार्गों में सुधार किया जाएगा।
3. सभी नगरीय क्षेत्रों में दो मंजिला सुविधा युक्त बस स्टेण्ड़ बनाए जाएंगे और ऊपरी मंजिल पर केंटिन तथा विश्राम हेतु लॉबी विकसित की जाएगी।
4. बड़े बस स्टेण्ड्स पर मोबाईल चार्जिंग की व्यवस्था, वाय-फाय सुविधा, गाड़ियों की समय सारिणी एवं किराया जैसी सूचना के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
5. नए रूट्स खोलकर बसों को परमिट दिए जाएंगे और बसों के परमिट की रिन्यूवल व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा।

6. इंटरसिटी परिवहन के लिए कार्यान्वित 'सूत्र सेवा' का विस्तार किया जाएगा और इस बेड़े में चरणबद्ध तरीके से 10,000 बसें शामिल की जाएंगी।
7. राष्ट्रीय और राज्य महामार्गों पर इमरजेंसी के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाएगी।

समृद्धि के लिए सुगम सुशासन

विकास के कीर्तिमान

विगत 15 वर्षों में हर स्तर और हर विभाग में पारदर्शी कार्यप्रणाली, निष्पक्ष प्रशासन और त्वरित शिकायत निवारण के माध्यम से हमने एक संवेदनशील और सहभागी सुशासन का नया उदाहरण पेश किया है। प्रशासन में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, पारदर्शिता के नए साधन और प्रक्रिया-आधारित कार्य के माध्यम से नागरिकों को उनके जीवन में सभी अवसरों का लाभ उठाने हेतु हम सक्षम बनाने और प्रभावी प्रशासन की मिसाल हमारी सरकार ने कायम की है।

मध्य प्रदेश कानून-व्यवस्था के मामले में देश के कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। यहां सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और औद्योगिक शांति का वातावरण अनुकरणीय है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को देश में शांति का टापू कहा जाता है। विगत 10 वर्षों के दौरान पुलिस बल में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, जो मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से सर्वाधिक है और इस दौरान 42 हजार से अधिक नये पद सृजित हुए। पुलिसकर्मियों की कठिन परिस्थितियों और ड्यूटियों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य योजना लागू की है। नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए डायल-100 सेवा का भी सफल संचालन किया जा रहा है।

हमारी सरकार नागरिकों को शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान कराने हेतु प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश बालिकाओं से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के अपराध को मृत्युदंड से दंडनीय बनाने वाला कानून विधानसभा में पास करने वाला पहला राज्य है। साथ ही ऐसे अपराधों के निराकरण के लिए आज 50 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं।

नागरिक प्रशासन

कार्यकुशलता

1. हम महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं और सामाजिक योजनाओं को 'ग्रोथ इंपीरेटिव पहलों' के रूप में चिन्हित करेंगे और 'परख' निगरानी प्रणाली के माध्यम से इन पहलों की नियमित समीक्षा की जाएगी।
2. एक विशेष 'कार्यान्वयन और प्रभाव सेल' स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी सरकारी पहलों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन किया जाएगा।

नागरिक सेवाएं

1. सभी सरकारी सुविधाओं की डोर स्टेप डिलिवरी का मॉडल लागू किया जाएगा।
2. सभी सरकारी विभाग व्यापक समीक्षा के माध्यम से सभी ऐसे बिंदुओं और पदों की पहचान करेंगे जिनका नागरिकों से सीधा संपर्क होता है और ऐसे कर्मचारियों को 'लोक सुविधा कर्मचारी' के रूप में चिन्हित कर सेवा-प्रदान संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. हम मौजूदा 'सुराज मिशन' का विस्तार करेंगे और गाँव स्तर पर जन सुनवाई में एसडीएम या उससे ऊपर के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
4. अटल इंस्टिट्यूट ऑफ़ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, भोपाल के अंतर्गत एक 'सेंटर फॉर इनोवेशन इन गवर्नेन्स' और एक 'सेंटर फॉर सिटीजन-कस्टमर्स' की स्थापना की जाएगी।
5. 'आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश' कार्यक्रम का विस्तार कर सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी और बुद्धिजीवियों के साथ साथ नागरिकों के भी विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

वित्तीय प्रबंधन

1. हम बेहतर सतर्कता से कर राजस्व में वृद्धि, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अभिनव वित्तीय मॉडलों के उपयोग से राजकोषीय घाटे को 3% से कम रखेंगे।
2. हम बजटीय व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रदेश में जीरो-बेस बजट की प्रक्रिया का उपयोग करेंगे।
3. हम वार्षिक बजट अनुमान प्रक्रिया को और प्रभावी और तर्कसंगत बनाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बजट में प्रस्तावित राशि का पूर्ण उपयोग हो और विभागों के पास अप्रयुक्त राशि न्यूनतम रहे।
4. संस्थागत वित्त निदेशालय के तहत 'अभिनव वित्तीय संसाधन एजेंसी' का गठन किया जाएगा ताकि सामाजिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण के नए मॉडलों का सृजन और उपयोग किया जा सके।
5. सरकारी अनुबंधों और सार्वजनिक खरीद में प्रभावी क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग के तहत 'अनुबंध प्रबंधन कार्यालय' की स्थापना की जाएगी।

6. कार्यक्षमता, वित्तीय दक्षता और अन्य सुधारों की पहचान करने हेतु राज्य सरकार संचालित सार्वजनिक इकाइयों की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

मानव संसाधन

1. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय और चतुर्थ सेवा श्रेणियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए जाएंगे।
2. हम दीर्घकालिक कर्मचारी नियोजन प्रकिया की शुरुआत करेंगे जिससे रिक्तियों के कारण नागरिकों को सेवाओं से वंचित न रहना पड़े।
3. हम सभी स्तरों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली तैयार करेंगे जिससे उनका काम और सेवाप्रदान और प्रभावी हो सके और नागरिकों को बेहतर सेवा अनुभव का लाभ मिले।
4. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रक्रिया के साथ ही सभी अधिकारियों के लिए एक केपीआई-आधारित मूल्यांकन मानक तय किए जाएंगे जिसके माध्यम से उनके उत्तरदायित्वों को व्यापक प्रदर्शन लक्ष्यों से जोड़ कर जवाबदेही में वृद्धि की जाएगी।
5. हम सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक कर्मचारी नवाचार कार्यक्रम शुरू करेंगे जिस के तहत हर स्तर के सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन संबंधी अपनी अभिनव कल्पनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा एवं मूल्यांकन के लिए अनुमोदित कल्पनाओं का पायलट करने की अनुमति दी जाएगी।
6. हम आरसीवीपी नोरोन्हा अकादमी को और भी सुदृढ़ करेंगे ताकि सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण और बेहतर हो सके।

डिजिटलिकरण

1. ई-गवर्नेंस के मॉडल को आगे ले जाते हुए सभी शासकीय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी अधिकारी या व्यक्ति के पास नहीं जाना पड़ेगा और समस्त जानकारी एवं सुविधाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी।
2. नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और सेवाओं संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों और वार्ड कार्यालयों में बायोमेट्रिक सूचना कियोस्क स्थापित किए जाएंगे।
3. सभी सरकारी वेबसाइटों का व्यापक रूप से नवीनीकरण कर उन्हें नागरिकों एवं कर्मचारियों के लिए हर प्रकार की जानकारी का वन-स्टॉप पोर्टल बनाया जाएगा और उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा।
4. हम सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस योजना का व्यापक विस्तार करेंगे जिससे नागरिकों को उनकी फाइलों की वर्तमान स्थिति जानने में आसानी हो सके।
5. सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल फीडबैक कंसोल स्थापित किए जाएंगे जहां नागरिक सरकारी सेवाओं संबंधी अपनी प्रतिक्रिया प्रदान कर सकेंगे।

6. सरकार के कामकाज में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई एक्ट के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों और प्रतिक्रियों को एक केंद्रीयकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

पुलिस

1. पुलिस नियंत्रण कक्षों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और पुलिस द्वारा तत्पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नवीनतम तकनीक से लैस किया जाएगा।
2. सीसीटीएनएस प्रणाली को अपग्रेड कर अगले 5 वर्षों में शिकायत, जांच और अभियोजन के व्यापक डिजिटलीकरण के लिए एक एकीकृत अपराध-न्याय सूचना प्रणाली का सृजन किया जाएगा।
3. अवैध शिकार और अन्य वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए पन्ना, सिवनी, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और अन्य वन बहुल जिलों में विशेष वन्यजीव पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
4. सभी नए पुलिस थानों में शिशु-गृह, पुस्तकालय और जिम की व्यवस्था की जाएगी और उनकी बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनलों की स्थापना की जाएगी।

मानव संसाधन

1. हम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के रिक्त पदों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के लिए प्राथमिकता से भर्ती प्रक्रिया करेंगे।
2. हम यातायात पुलिस में कनिष्ठ पदों की संख्या को बढ़ाएंगे।
3. रिक्त पुलिस पदों को शीघ्र भरने के लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाएगा।
4. हम 3 नए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करेंगे और उज्जैन के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल का तत्पर क्रियान्वयन करेंगे।
5. मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल एवं जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर के तहत जाँच अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आधुनिक जांच तकनीकों संबंधी प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा।
6. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए महिला अपराध शाखा को और मजबूत किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध किया जाएगा।
7. आपराधिक मामलों में शीघ्र अभियोजन सुनिश्चित करने हेतु हम सार्वजनिक अभियोजकों के पदों की रिक्तियों को तत्परता से भरेंगे।

फोरेंसिक विज्ञान

1. हम गृह विभाग के अंतर्गत एक अलग फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय की स्थापना करेंगे।

2. अगले 5 वर्षों में प्रत्येक संभाग में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ प्रत्येक जिले में दो मोबाइल फोरेंसिक वैन की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
3. साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु मौजूदा साइबर अपराध इकाइयों को और मज़बूत किया जाएगा।

न्यायपालिका

1. हम प्रदेश की आवश्यकतानुसार वाणिज्य अदालतों का विस्तार करेंगे तथा वाणिज्य अपीलीय अदालतों की स्थापना करेंगे।
2. हम सरकार द्वारा दायर सभी लंबित मुकदमों की व्यापक समीक्षा करेंगे एवं मामूली और गैर-जरूरी मामलों और अपीलों को वापस लिया जाएगा।
3. अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या कम करने के लिए सरकारी अभियोजकों द्वारा उपयोग हेतु प्ली बार्गेन संबंधी व्यापक मार्गदर्शक दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

1. सभी खनिज संसाधनों एवं रेत के अवैध खनन की पहचान के लिए उपग्रह-आधारित ट्रैकिंग की शुरुआत की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय में देश में पहले राज्य सरकार द्वारा संचालित रिमोट सेंसिंग उपग्रह के डिजाइन और निर्माण हेतु नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
2. अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय टास्कफोर्स गठित किया जाएगा।
3. आपदा संबंधी तैयारी, आपदा प्रबंधन क्षेत्र में क्षमता वर्धन और आपदाओं में सरकारी विभागों के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने जैसे कार्यों को प्रभावी रूप से करने लिए हम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और सुदृढ़ करेंगे।

समृद्ध प्रदेश के स्वस्थ नागरिक

विकास के कीर्तिमान

आज प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा चुका है। दीनदयाल चलित अस्पताल, जननी एक्सप्रेस, स्वास्थ्य कैंप आदि द्वारा मरीज तक सेवाएं पहुँचाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। प्रायः सभी जिला एवं प्राइमरी हेल्थ सेंटरों, सिविल अस्पतालों तक एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है। आकस्मिक स्थिति में त्वरित स्वास्थ्य सहायता हेतु 108 एम्बुलेंस की सुविधा संपूर्ण प्रदेश को प्राप्त हो चुकी है। दवाईयां सभी को निःशुल्क दी जा रही हैं। जिला अस्पतालों में डायलासिस, चाईल्ड केयर युनिट, ट्रामा सेंटर सहित अस्पतालों के सभी विभागों में आधुनिक सुविधाएं तथा आधुनिक आपरेशन थियेटर की सुविधा आज उपलब्ध है। चिकित्सकों की पूर्ति भी निरंतर की जा रही है। मेडिकल कॉलेजो की संख्या बढ़ाकर नए चिकित्सक तैयार किए जा रहे हैं, मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि कर प्रदेश में 500 सीटों की इन पिछले वर्षों में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार नर्सिंग स्टाफ हेतु भी अनेक निजी नर्सिंग कालेजों की स्वीकृति दी गई है। आयुष, होमियोपेथी, यूनानी सभी प्रकार की चिकित्सा प्रणालीयों के अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी निःशुल्क उपचार की 'आयुष्मान भारत' योजना 25 सितंबर से देश के साथ ही हमारे प्रदेश में भी शुरू हो गई है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि विश्व में इतना बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा का कदम हमारे देश में प्रारंभ हुआ है। इस योजना के तहत सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में निःशुल्क 5 लाख तक के उपचार की सुविधा 10 करोड़ परिवारों और लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचेगी और हमारी प्रदेश सरकार भी इसमें सहभागी है। इसे हम पूरी सक्रियता, जिम्मेदारी एवं प्रभावी तरीके से आम आदमी तक पहुँचाने के प्रति कटिबद्ध हैं। अस्पताल में संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के फलस्वरूप प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर में कमी तथा चाईल्ड केयर युनिट्स की सुविधा से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। और आज भी निरंतर सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं।

नीतिगत पहलें

1. हम स्वास्थ्य क्षेत्र के नीतिगत लक्ष्यों में स्वास्थ्य के साथ साथ आरोग्यता को भी आधारभूत सिद्धांत बनाएँगे और सभी नागरिकों के लिए एक स्वस्थ्य और अच्छे जीवन का अनुभव सुनिश्चित करेंगे।
2. अगले पांच वर्षों में सुलभ, किफायती और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रेकॉर्ड्स

1. मध्य प्रदेश को हम स्वास्थ्य प्रणाली में पूरी तरह से ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनाएंगे। हम अन्य राज्यों की ई-स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड मानकों का पूर्ण क्रियान्वयन प्रदेश में करेंगे।
2. अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
3. निजी अस्पताल, विशेषतः आयुष्मान भारत योजना में शामिल अस्पतालों में, ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

निवारक देखभाल

1. आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, विद्यालयीन शिक्षकों सहित सभी संबंधित विभागों द्वारा चलाई जाने वाली निवारक स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक क्षमता वर्धन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
2. सभी प्रमुख संक्रमणीय और गैर-संक्रमणीय बीमारियों के लिए हम हाई-रिस्क प्रोफाइल की पहचान करेंगे और क्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत एवं आधुनिक माध्यमों से इन रोगों की रोकथाम के लिए लक्षित प्रचार सुनिश्चित करेंगे।
3. मधुमेह, ब्लडप्रेशर, मोटापे जैसी बीमारियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग को सुनिश्चित करने हेतु सभी आयुष्मान भारत अस्पतालों में प्रारंभिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य पर क्षमता से अधिक निजी खर्च में कमी

1. प्रदेश के गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और सभी लाभार्थियों के पंजीकरण का कार्य शीघ्रता से किया जाएगा।
2. दवाइयों पर होनेवाले व्यय को कम करने के लिए सरकारी अस्पताल में जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता और पर्याप्त दवाइयों के भंडारण को सुनिश्चित किया जाएगा।

आधारभूत संरचना

1. नागरिकों के लिए विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए हम इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना करेंगे।
2. अगले पांच वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2,980 नए उप केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,000 नए स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर) स्थापित किए जाएंगे।
4. हम संभाग मुख्यालयों में स्थित सभी जिला अस्पतालों की क्षमता को 500 बिस्तर तक बढ़ाएंगे।
5. एक वर्ष के भीतर हर जिले में ट्रॉमा केंद्रों की स्थापना पूर्ण कर दी जाएगी।
6. शहरी इलाकों में स्थित बड़े अस्पतालों में ओपीडी विभाग के भार को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थित सिविल डिस्पेंसरीज की संख्या को दोगुना किया जाएगा और सभी सिविल डिस्पेंसरीज और शहरी परिवार नियोजन केंद्रों का उन्नयन कर उनमें बुनियादी नैदानिक सुविधाएं और किफायती दवाईयां उपलब्ध कराई जाएंगी।
7. हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में भी जिला अस्पताल स्तर की नैदानिक सुविधाओं (डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज) को उपलब्ध कराएंगे।
8. दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान के विस्तार हेतु अगले पांच वर्षों में दीनदयाल मोबाइल मेडिकल इकाइयों की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी।

मातृ और बाल स्वास्थ्य

1. माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली को सुदृढ़ और विस्तारित कर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ही पंजीकृत किया जाए और 100% माँ और बच्चों तक सभी आवश्यक परीक्षाएं, सेवाएं और प्रसवपूर्व देखभाल की सुविधाएं पहुंचे।
2. गर्भवती महिलाओं के व्यापक पंजीकरण के लिए सभी आशा कर्मचारियों को ट्रैकिंग सिस्टम एप से लैस स्मार्ट फोन दिया जाएगा।
3. गावों में स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को एक स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, बच्चों के टीकाकरण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहन के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा।
4. बच्चों के लिए समय पर रेफरल और उपचार सुनिश्चित करने के लिए हम सभी जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इमरजेंसी ट्रियाज और ट्रीटमेंट इकाइयों का निर्माण करेंगे।
5. सभी बच्चों और महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष को गहन रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
6. प्रदेश में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, नवजात गहन देखभाल इकाइयों (NICU) और न्यूबोर्न स्टेबिलिटी यूनिट्स की संख्या को दोगुना किया जाएगा।

7. मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों तक पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम जननी एक्सप्रेस-108 एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे।

पोषण

1. विशेष समन्वित रणनीति लागू कर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण एवं गंभीर एनीमिया की त्वरित पहचान और उसका प्रबंधन किया जाएगा।
2. आंगनवाडी केंद्रों को 'पोषक वाटिका' के रूप में विकसित करने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया और लागू किया जाएगा।
3. कुपोषित बच्चों के लिए जरूरी देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के लिए 40 नए पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
4. हम मोटा अनाज (विशेषतः स्थानीय प्रजातियों) के उपयोग को बढ़ावा देकर बच्चों के पोषण में सुधार करेंगे।

विशेष प्राथमिकता क्षेत्र

1. हम प्रदेश में, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, आयरन डेफिशियेंसी एनीमिया की समस्या को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे और आयरन की खुराक और रक्त संचरण सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।
2. दस्त की समस्या के निवारण के लिए पूरे वर्ष एक मिशन चलाया जाएगा जिसके तहत गहन सतर्कता और ओआरएस पाउडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
3. ग्रामीण महिलाओं और बड़े शहरों के निवासियों में श्वसन रोगों के निवारण को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम का सभी 23 प्रभावित जिलों में विस्तार किया जाएगा और सभी प्रभावित बसाहटों में 100% वार्षिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी।
5. हम आदिवासियों में सिकल सेल एनीमिया की शुरुआती स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मिशन का सृजन करेंगे।
6. आदिवासी क्षेत्रों से मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जनजातीय मलेरिया एक्शन प्लान बनाया और लागू किया जाएगा।
7. सर्पदंश से होने वाली मृत्यु की संख्या कम करने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
8. गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए हम भोपाल, जबलपुर और इंदौर में 3 पेलिएटीव केयर केंद्रों की स्थापना करेंगे।

अन्य सुविधाएं

1. वर्तमान में सिविल अस्पतालों में उपलब्ध निदान परीक्षणों को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

2. डायग्नोस्टिक्स एवं अन्य उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के भीतर एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग निदेशालय की स्थापना की जाएगी।
3. संक्रामक बीमारियों के प्रकोपों को तत्काल पहचानने और नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत वेब-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और सूचना प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
4. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बायोमेडिकल अपशिष्ट के पूर्ण निपटान के लिए हर 10,000 बिस्तरों के लिए एक भस्मीकरण संयंत्र के मानक अनुसार पर्याप्त बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मीकरण संयंत्र स्थापित किए जाएं।

दवाइयों की उपलब्धता

1. हम हर जिला अस्पताल में आवश्यक दवाइयों का आधुनिक भंडार स्थापित कर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों की एक महीने की दवाइयों की ज़रूरत को पूरा करने हेतु पर्याप्त दवाइयों का भंडारण करेंगे।
2. हम दवाओं की आवश्यकताओं की समयोचित सूचना और उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश औषधि सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ कर और मज़बूत करेंगे।
3. किफ़ायती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम प्रदेश में जन औषाधी केंद्रों की संख्या को दोगुना करेंगे।

आपातकालीन और ट्रॉमा सेवाएं

1. अगले पांच वर्षों में पूरे प्रदेश में 15 मिनट के अंदर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
2. आपातकालीन परिस्थितियों में जानकारी के शीघ्र आदान-प्रदान के लिए सभी एम्बुलेंस सेवाओं, कॉल सेंटर और नामित अस्पतालों को रेडियो-आधारित कनेक्टिविटी से एकीकृत किया जाएगा। इस नेटवर्क के तहत पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के साथ इंटर-कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
3. समयोचित रेफरल और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ट्रायज की एक मानकीकृत प्रणाली तैयार की जाएगी और उसका राज्यव्यापी क्रियान्वयन किया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन

1. स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक खाका तैयार करने हेतु हम एक नई 'स्वास्थ्य मानव संसाधन' नीति का निर्माण करेंगे।

2. प्राथमिक देखभाल की मांग को पूर्ण करने में सार्वजनिक सुविधाओं के अतिरिक्त सेवा क्षमता उपलब्ध कराने हेतु निजी डॉक्टरों को अनुबंधित कर ओपीडी सेवा प्रदान का एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा।
3. सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी डॉक्टरों को 70 साल की उम्र तक सेवारत रहने का विकल्प दिया जाएगा।
4. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की तर्ज पर हम विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एक स्वयंसेवी कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
5. हम 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे और जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड कर 2,000 नई मेडिकल सीटें उपलब्ध कराएंगे।
6. प्रदेश में नर्सिंग कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज और सामान्य नर्स प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
7. प्रशिक्षित सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम नए बहुउद्देशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण स्कूल और एएनएम प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे।
8. लोकल हेल्थ वर्कर्स के लिए नए प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
9. प्रयोगशाला तकनीशियन, पैरामेडिक्स और अन्य सहयोगी स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता में वृद्धि के लिए पूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजी लागत की पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वित्तीय संसाधन

1. हम मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी भागीदारी का इष्टतम उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य बनाएंगे और सभी स्तरों पर निजी भागीदारी के लिए नए मॉडल तैयार करेंगे।
2. अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपयों के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु हम 'मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निवेश योजना' को संशोधित कर और भी सुदृढ़ बनाएंगे।
3. हम रोगी कल्याण समितियों के कामकाज और रोगी कल्याण समिति के निधि के उचित उपयोग की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत एमआईएस प्रणाली की शुरूआत करेंगे।

समृद्ध शहरों का संकल्प

विकास के कीर्तिमान

प्रदेश की 7.25 करोड़ जनसंख्या में से 2 करोड़ 59 लाख जनसंख्या शहरों में निवास करती है। कांग्रेस शासन के दौरान प्रायः कुछ चुनिंदा स्थानों को छोड़कर छोटे-बड़े सभी नगर अव्यवस्था के शिकार थे। टूटी-फूटी आतंरिक सड़कें, नालियों के अभाव में जल भराव, सीवर सिस्टम का अभाव की स्थिति थी। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाईट भी बिल न भरने के कारण कट जाती थी। पेयजल का स्थायी संकट - ये सभी समस्याएं सामान्य बात थी। पिछले 15 वर्षों में प्रदेश के शहरों का परिदृश्य बदला है। 2003 में कांग्रेस शासन में शहरी विकास का बजट मात्र 807 करोड़ रूपए था, आज 2018 में 11,559 करोड़ का बजट नगरों के विकास के लिए उपलब्ध है। प्रदेश के सात शहर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसी तर्ज पर राज्य स्तर से अमरकंटक, चित्रकुट, ओरछा, मैहर और मुंगावली को विकसित करने की योजना हमने बनाई है। उपरोक्त शहरों में से प्रत्येक को 25-25 करोड़ रूपए अलग से विकास कार्य हेतु दिए गये हैं। नगर पालिका क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आदर्श सड़क वहां की जीवन रेखा बन गई है और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। पेयजल की पूर्ति हेतु अमृत योजना, मुख्यमंत्री पेयजल आवर्धन योजना आदि के माध्यम से करोड़ों रूपयों के बजट का आवंटन किया गया है। अमृत योजना में 26 शहरों में 3,800 करोड़ रूपयों की सहायता से पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की गई है। आज अधिकांश नगर पालिका एवं नगर परिषदें पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति करने में सक्षम हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से सभी नगरीय क्षेत्र की गरीब बस्तियों में 5 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं तथा उन्हें खुले में शौच के कलंक से मुक्ति मिली है। इस अभियान में सभी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरे देश में स्वच्छता में हमारा इंदौर नंबर 1 एवं राजधानी भोपाल नंबर 2 पर रहे हैं। आज घरों से कचरा उठाया जा रहा है। कचरे के निष्पादन की वैज्ञानिक तरीके से कार्यवाही की जा रहीं है। 26 क्लस्टर बनाए जाकर अपशिष्ट निष्पादन इकाईयॉ स्थापित की जा रही हैं। जबलपुर में कचरे से 11.2 मेगावाट बिजली यूनिट उत्पादन करने वाली इकाई भी कार्यशील है। भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर और रीवा में भी कार्य प्रगति पर है, जबकि कटनी में जैविक खाद बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी वर्ग के शहरों में मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में पक्के मकान बन रहे हैं। कांग्रेस के राज में हमारे शहर की झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों में कोई सुविधा नहीं थी और निवासी गंदगी एवं बीमारी से परेशान थे। आज ये बस्तियां सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनीयों में परिवर्तित हो रही हैं। प्रदेश में कुल 5 लाख मकान बने हैं तथा सन् 2020 तक 10 लाख बनाने का लक्ष्य है। यहां पेयजल एवं प्रकाश, सफाई व्यवस्था अब नगरीय संस्थाऐं कर रहीं है। एक प्रकार से जो लोग कांग्रेस राज में नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे, आज गरिमा एवं सम्मान पूर्वक शहरी जीवन की ओर अग्रसर हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं।

शहरी नियोजन और नीति

1. हमारे यहां चार बड़े शहर हैं – इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर इन शहरों को 'महानगरीय' सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी। इन शहरों की सीमा से 20 किलोमीटर तक क्षेत्र में आनेवाली ग्रामीण बस्तियों या ग्राम पंचायतों को विशेष आर्थिक सहायता देकर, उनका विकास प्लान बनाकर अगले 5 वर्षों में नगरीय सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि जनसंख्या का अधिक दबाव इन महानगरों पर न पड़ सके।
2. शहरी विकास संबंधी अभिनव कल्पनाओं की पहचान और मूल्यांकन करने और प्रभावी कल्पनाओं को प्रदेश के सभी शहरों में तेज़ी से लागू करने के लिए शहरी विकास विभाग के तहत 'अर्बन इनोवेशन ऑफिस' की स्थापना की जाएगी।
3. हम प्रदेश के आर्थिक अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने और शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों और आर्थिक गलियारों के सामानांतर ग्रीन-फील्ड टाउनशिप्स का निर्माण करेंगे।
4. शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हम प्रदेश की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को तत्परता से अंतिम रूप देंगे और कार्यान्वित करेंगे।
5. हम शहरी नियोजन में नए दृष्टिकोणों को शहरी नियोजन में सम्मिलित करने के लिए सभी प्रमुख शहरों की शहर विकास योजनाओं और मास्टर प्लान्स की व्यापक समीक्षा करेंगे।
6. प्रदेश के सभी 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों के मास्टर प्लान को जीआइएस प्लेटफार्म पर तैयार किया जाएगा तथा सभी शहरों में ले-आउट अनुमोदन तथा भू-उपयोग परिवर्तन को ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाएगी।
7. रियल इस्टेट को नगरों में बढ़ावा देने के लिए शहरों के मास्टर प्लान में वर्टीकल डेवलपमेंट, टीडीआर तथा टीओडी के प्रावधानों को सम्मिलित किया जाएगा।
8. हम प्रमुख शहरों जैसे भोपाल तथा इंदौर के मास्टर प्लान में समस्त सड़कों का आधुनिक तकनीक तथा सुविधाओं के साथ निर्माण करेंगे।
9. प्रत्येक नगरीय निकाय में उस स्थान की सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा, ताकि उस स्थान का गौरव बना रहें।

शहरी आधारभूत संरचना

1. स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत निर्माणाधीन कार्यों को तत्परता से पूर्ण किया जाएगा।
2. हम पर्यावरण अनुकूल नियोजन और प्रशासनिक पद्धतियों को अपना कर अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए ग्रीन सिटीज में रूपांतरित करेंगे।
3. 'मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना' के तहत शहरी निकायों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु उपलब्ध राशि को 2,500 करोड़ रूपए किया जाएगा और इस योजना की नियोजन प्रक्रिया को और व्यापक और अभिसरण-आधारित किया जाएगा।

4. हम 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए किफायती आवास मुहैया कराएंगे।
5. 7,000 करोड़ रुपए की 'जीवन धारा' योजना शुरू कर प्रदेश के सभी शहरी परिवारों को 2023 तक 135 एलपीसीडी के मानक से और 2028 तक 270 एलपीसीडी के मानक से सुरक्षित पानी की 24x7 आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और राजस्व में नुकसान को कम करने हेतु सभी वितरण बिंदुओं पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे।
6. सभी शहरी निकायों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का 100% निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन के मॉडल का विस्तार किया जाएगा।
7. राज्य में बढ़ते हुए शहरीकरण को संतुलित कर पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बड़े नगरों से नगर पंचायत स्तर तक स्वच्छता सुविधाओं, विशेष रूप से अपशिष्ट संग्रह प्रणाली का विस्तार कर स्वच्छता के इंदौर मॉडल को अपनाकर आधुनिक आरएफआईडी तथा जीपीएस आधारित संचार प्रणाली का उपयोग कर 'निगरानी तंत्र' विकसित किया जाएगा।
8. नगरीय कचरे को लाभ के व्यवसाय बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पीपीपी आधारित व्यवस्था निर्मित कर लगभग 1,000 करोड़ का निवेश करते हुए नगर निगम से नगर पंचायत तक कचरे का संग्रहन परिवहन एवं वैज्ञानिक निपटान की वैल्यू चैन निर्मित की जाएगी।
9. नगरों से उत्सर्जित जैविक कचरे को सिटी कम्पोस्ट तैयार कर रियायती दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
10. 2023 तक सभी शहरी परिवारों को सीवरेज कनेक्शन और अपशिष्ट जल का 100% शोधन सुनिश्चित करने के लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
11. प्रदेश के छोटे और मध्यम शहरों में सार्वजनिक स्थानों में सामुदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु शहरी उद्यानों और सामुदायिक स्थानों के विकास के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
12. हम इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल का कार्य तत्परता से पूर्ण करेंगे और अन्य शहरों में भी लाइट रेल, बीआरटी और लो-फ्लोर बसों के उपयोग के माध्यम से सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा।
13. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन वाहन जैसे रिक्शा, टैक्सी, बस आदि को सीएनजी वाहनों में रूपांतरित किया जाएगा।
14. शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य पार्किंग नीति को व्यापक रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
15. ई-रिक्शाओं के लिए शहरों में चुनींदा जगहों पर विशेष पार्किंग और उसमें नि:शुल्क चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी।
16. शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की ख़रीद पर पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी।
17. बाइक बैंकों की उपलब्धता, गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए अलग लेन और सभी शहरी क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों के माध्यम से बाइक और गैर-मोटर चालित परिवहन का उपयोग प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रशासनिक प्रणाली

1. शहरी प्रशासन संबंधी अनुसंधान और निर्वाचित प्रतिनिधियों और शहरी नीति निर्माताओं के क्षमता वर्धन हेतु इंदौर में 'कुशाभाऊ ठाकरे शहरी प्रशासन संस्थान' की स्थापना की जाएगी।
2. सभी शहरों में 'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स' की पहचान की जाएगी और एक समर्पित 'इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पांस टास्क फोर्स' के माध्यम से इनकी निरंतर निगरानी और 24 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी।
3. शहरों के विकास और नियोजन में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों के विस्तार के लिए स्थानीय करों के नए मॉडल अपनाए जाएंगे और बाय-लॉज में परिवर्तन किया जाएगा।
4. शहरी निकायों में व्यापक विमर्श और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए सभी निकाय सभाओं की एक वर्ष में कम से कम 30 दिन बैठक करना अनिवार्य किया जाएगा और निकाय के बजट पर चर्चा के लिए भी कम से कम 3 दिन रखे जाएंगे।
5. हम पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए म्युनिसिपल बांड मॉडल का प्रभावी विस्तार करेंगे और टीडीआर, बेटरमेंट लेवी और इम्पैक्ट फी जैसी कल्पनाओं के व्यापक उपयोग से नए संसाधनों का सृजन करेंगे और अगले पांच वर्षों में शहरी विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपयों का निवेश सुनिश्चित करेंगे।

समावेशी शहरी विकास

1. शहर के फेरीवालों के लिए बेहतर हॉकर कार्नर उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका में वृद्धि की जाएगी।
2. शहरी बेघरों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए बनी योजना को और बेहतर बनाया जाएगा तथा इनका विस्तार छोटे शहरों में भी किया जाएगा।
3. शहरी क्षेत्रों में गरीब निवासियों को 5 रुपए में गर्म और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने वाली 'दीन दयाल अंत्योदय रसोई योजना' को प्रदेश के सभी शहरों में विस्तारित किया जाएगा।
4. शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी लक्षित प्रयासों को सुनिश्चित करने और प्रभावी ढंग से झुग्गी पुनर्वास और शहरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सभी निकायों में 'समावेशी विकास प्रकोष्ठ' स्थापित किया जाएगा।
5. अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के बाद अब इन कॉलोनियों में बेहतर नागरिक सुविधाओं का प्रदाय किया जाएगा।

समृद्ध गावों में निरंतर विकास

विकास के कीर्तिमान

गावों के विकास का रास्ता सबसे पहले पक्की बारहमासी सड़कों से जुडता है। पहले प्रायः सभी गांव सड़क विहीन होने से पूरे वर्ष त्रासदी झेलते थे और शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, वाहन, पक्के मकान, बिजली, पानी सभी प्रकार से अभावों का जीवन ही ग्राम्य जीवन था, किंतु हम आभारी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी के जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गावों को जोडा। आज हमारे प्रदेश में लगभग सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल 75,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य बजटीय सड़कों की भी गणना करे तो प्रदेश में कुल 94,500 किलोमीटर सड़के निर्मित हो चुकी हैं और निरंतर काम जारी है। सड़कें बनीं तो सरकार की सभी योजनाएं भी चल कर गांव तक पहुंची हैं। ग्रामीण बस सेवा चालू हो गई, शालाओं में शिक्षक पहुँचने लगे, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, वेक्सीनेटर, स्वास्थ्य सेवाएं, जननी एक्सप्रेस, एम्बुलेंस, ग्राम सेवक, कृषि संबंधी नई वैज्ञानिक जानकारी पहुंचने लगीं एवं मण्डी तक अनाज, शहर तक दूध, सब्जी आदि पहुँचने से ग्रामीणों की आय बढ़ी है। सड़क से समृद्धि का नारा साकार हुआ है।

प्रदेश के गावों को पहले मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, अब प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामों में लाखों पक्के मकान बन चुके हैं तथा कुछ और निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना में 25,000 आवास निर्मित हुए हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक कुल 10.67 लाख आवास निर्मित हो चुके हैं व 4.50 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। आवास निर्माण पर अभी तक कुल 13 हजार करोड़ की राशि व्यय हुई है। पंचायतों को 'पंच परमेश्वर योजना' में इस वर्ष 1,700 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 1,300 करोड़ से अधिक की राशि और दी जाएगी, जिससे सभी ग्रामों में पक्की नालियां, सीमेंट कांक्रीट की पक्की गलियाँ, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन आदि बनाए गए हैं। ग्रामों में अब तक 18 हजार किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट रोड एवं नालियां बनाई जा चुकी हैं। खुले में शौच मुक्त अभियान एवं स्वच्छता अभियान का प्रभावी असर ग्रामों में देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में कुल 91 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं जिनमें से 62.78 लाख स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। आज सभी 313 विकास खंडों के समस्त ग्राम खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।

प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण एवं पहाड़ी अंचलों तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। 2017 तकप्रदेश की 1,28,061 बसाहटों में से 1,06,754 बसाहटों तक मानक अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक से अधिक आबादी तक नालों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी अंचलों में जहां फ्लोराइड की समस्या है, वहां भी ग्रामों की सामूहिक पेयजल योजना बनाकर उपलब्ध शुद्ध स्त्रोत से नलों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

सुविधाएँ

1. बैंक खाता, जीवन और दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आजीविका के लिए ऋण, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सहित व्यक्तिगत विकास के अवसरों जैसी सेवाओं के साथ 'अटल न्यूनतम व्यक्तिगत सशक्तिकरण पैकेज' की शुरुआत की जाएगी, और इसका लाभ सभी ग्रामीण नागरिकों तक व्यापक तरीके से पहुंचाया जाएगा।
2. हम एसईसीसी के अनुसार सभी पात्र परिवारों को 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराएंगे।
3. सभी परिवारों तक बिजली पहुँचाने के बाद हम अब सभी को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
4. 10,00,000 परिवारों को अपने घर में पाइप से पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा।
5. छोटी एवं जनजातीय क्षेत्र की पंचायतों की जल योजनाओं हेतु विद्युत सुविधा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि सतत जल प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।
6. ग्रामीण पेयजल की शुद्धता को जांचने के लिए प्रत्येक जिले में चलित प्रयोगशाला होगी, ताकि स्पॉट पर जांच कर शुद्धता को आंका जा सके।
7. सुदूर बसाहटों को प्रमुख केंद्रों से जोड़ने वाली कंक्रीट सड़कों और पक्की सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा।
8. ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव की समस्या को कम करने हेतु जल निकासी का प्रबंध किया जाएगा एवं इस हेतु पंचायतों को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाएगा।
9. हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% अपशिष्ट संग्रहण और निपटान की सुविधा के लिए पीपीपी मोड में निजी मेंटेनन्स एजेंसियों को शामिल करेंगे।
10. पंचायतों के समूह में विभिन्न सुविधा-युक्त मांगलिक भवनों के स्थापना के लिए योजना बनाई जाएगी।
11. सभी पंचायतों के अपने सर्व सुविधा युक्त पंचायत भवन बनाए जाएंगे।
12. गांवों में खेल सुविधाएँ एवं मैदान उपलब्ध कराए जाएंगे।
13. 'मुक्ति धाम' स्थलों को संरक्षित किया जाएगा और उनके रखरखाव और विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
14. सभी ग्रामपंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी और नागरिकों के उपयोग के लिए हाय-स्पीड वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी।
15. 29 लाख से अधिक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे विभिन्न सेवाओं का लाभ एवं जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सके।
16. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रेडियो सेवा उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी।
17. पंचायतों को दिए जानेवाले वार्षिक अनुदान के व्यापक वार्षिक नियोजन हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली को लागु किया जाएगा।
18. पंचायतों संबंधी वर्तमान नियमों और उनके तहत पंचायतों को मिलने वाले अधिकारों और संसाधनों की समीक्षा की जाएगी।

सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक

विकास के कीर्तिमान

हम कला-संस्कृति के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। ओंकारेश्वर में आदिगुरू शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आदिगुरू सांस्कृतिक न्यास भी गठित किया गया है। आदिवासी कला-संस्कृति को सहेजने के लिये लोक कलाकार मंडल गठित किया जा रहा है। पांच नए हिंदी सेवा सम्मान भी शुरू किए गये हैं।

प्रदेश में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता पूर्व से मंदिरों, मठों एवं आश्रमों आदि को राजस्व भूमियां प्रदान की गई थी, जिस पर आज भी बड़ी संख्या में उनके उत्तराधिकारी निर्भर है। हमारी सरकार ने इनके लिए काफी प्रयास किए हैं। पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया है, उन्हें संबल योजना का लाभ दिया गया है तथा उनके नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

मध्य प्रदेश में देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले पंद्रह वर्षों में पर्यटन के बजट में 10 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है और यहां आने वाले पर्यटकों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नई पर्यटन नीति में निवेशकों के लिए नियमों को अनुकूल, सरल और आकर्षक अनुदान एवं अन्य प्रवधानों को सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस संबंध में त्वरित निर्णय लेने के लिए पर्यटन कैबिनेट का भी गठन हमने किया है। प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में पिछले वर्ष पांच नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं।

आस्था, इतिहास और पहचान

1. हम प्रसाद योजना के तहत ओमकारेश्वर में बुनियादी ढांचे के विकास को तत्परता से पूर्ण करेंगे और ओरछा, महेश्वर, मैहर, चित्रकूट और धार्मिक महत्व के अन्य स्थानों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए विशेष प्रयास करेंगे।
2. हम नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु पेयजल की सुविधा, फ़ूड कियोस्क, धर्मशालाओं और अन्य आधुनिक सुविधाओं को विकसित करेंगे।
3. हम क्षिप्रा नदी के तट पर बसे पारंपरिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास एवं क्षिप्रा नदी की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने हेतु 'क्षिप्रा धरोहर बोर्ड' का गठन करेंगे।
4. हम बौद्ध सर्किट के तहत अतिरिक्त स्थानों का विकास करेंगे और बौद्ध सर्किट में सम्मिलित स्थानों पर बुद्ध के प्रेरणादायी जीवन के उत्सव के रूप में वार्षिक 'महामना तीर्थ उत्सव' का आयोजन करेंगे।
5. प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के संरक्षण और प्रचार हेतु प्रदेश में हम परमार और चंदेला सांस्कृतिक सर्किट विकसित करेंगे और इन सर्किट के अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास करेंगे।
6. हम हमारे प्रदेश के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतीकों की रक्षा और जीर्णोद्धार के लिए विशेष प्रयास करेंगे और गौरी सोमनाथ मंदिर, शिवपुरी के सूर्य मंदिर, छत्रसाल का मक़बरा, धार किला और सिंगरौली की प्राचीन रंगी हुई गुफाओं के संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से किया जाएगा।
7. हम जबलपुर में रानी दुर्गावती, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी, उज्जैन में दुर्गादास राठोड़ और अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद के सम्मान में इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया इकाइयों से सुसज्जित भव्य स्मारक संग्रहालयों का विकास करेंगे।
8. हम छिंदवाड़ा में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम के निर्माण का कार्य तत्परता से पूर्ण करेंगे।
9. हम टंट्या भील और प्रदेश के इतिहास में महान योगदान देने वाले अन्य महान आदिवासी नायकों के सम्मान में पातालपानी में एक भव्य 'वनवासी महानायक परिसर' का निर्माण करेंगे।
10. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों और संरचनाओं को क्षति और विस्मरण से बचाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की जाएगी।
11. प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने हेतु हम मध्य प्रदेश हेरिटेज डेवलपमेंट ट्रस्ट को और सुदृढ़ करेंगे।
12. प्रदेश में सरकारी अभिलेखागारों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों में उपलब्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की सभी कलाकृतियों और पांडुलिपियों को मिशन मोड पर डिजिटाइज किया जाएगा।
13. सभी सरकारी स्कूलों में हर सुबह राष्ट्रगान के बाद 'मध्य प्रदेश गान' भी गाया जाए यह हम सुनिश्चित करेंगे।

14. हम प्रदेश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और कलाओं संबंधी गहन शोध और प्रसार के लिए खजुराहो में 'धरोहर विश्वविद्यालय' की स्थापना करेंगे।

धर्म और धर्मस्व

1. सभी पुजारी, महंत आदि के मानदेय बढ़ाए जाएंगे।
2. धर्म स्थल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और राज्य के मंदिरो से जुड़े महंत और पुजारियों एवं मंदिरों की समस्याओं को हल करने के लिए इस प्राधिकरण को विशेषाधिकार प्राप्त होगा।
3. मंदिरों से जुड़ी कृषि भूमि के लिए पुजारियों को मुआवजे और फसल बीमा भुगतान लागू करने की व्यवस्था की जाएगी।
4. मठ, मंदिरों और स्थानीय निकायों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए एक वैधानिक व्यवस्था की जाएगी।
5. प्रदेश सरकार समय-समय पर पुजारी महापंचायत बुलाएगी जिसमें धर्म स्थलों के विकास पर व्यापक दृष्टि से विचार होगा।
6. मठ मंदिरों की जमीनों पर हुए नाजायज कब्जों को हटाया जाएगा और संपत्ति को मंदिर प्रबंधन के सुपूर्द किया जाएगा।
7. जिन मंदिरों के पास माफी भूमि नहीं है, उनके पुजारियों की आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान किए जाएंगे।
8. कलेक्टर या कमिश्नरों के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले मठ मंदिरों के लिए स्थानीय नागरिकों की सलाहकार समिति बनाकर उनकी राय अनुसार देखरेख, पूजा व्यवस्था एवं कर्मचारी वेतन आदि का निर्धारण किया जाएगा।

कला और भाषाएं

1. प्रदेश की समृद्ध भाषा परंपराओं को संरक्षित करने हेतु बुंदेली, गोंडी और भीली भाषाओं के अध्ययन, संरक्षण और प्रचार के लिए तीन नए शोध संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
2. लोकरंग, खजुराहो नृत्य महोत्सव और कालिदास समरोह का आयोजन और भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा और वेबकास्टिंग और टीवी प्रसारण के माध्यम से व्यापक प्रसार हेतु सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
3. मांडना पेंटिंग्स और बाग प्रिंटिंग की कलात्मक परंपराओं की समृद्धि का प्रदर्शन करने हेतु दो संग्रहालयों की स्थापना प्रदेश में की जाएगी।
4. हम प्रदेश के लोक कलाकारों के कल्याण को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए 'लोक कलाकार कल्याण बोर्ड' स्थापित करेंगे और लोक कलाकारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे।
5. प्राचीन और पारंपरिक नाट्य परंपराओं में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम 'भासा फैलोशिप' की शुरुआत करेंगे।

पर्यटन की आधारभूत संरचना

1. निजी साझेदारी के माध्यम से ऐतिहासिक परिसरों की संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए हम एक नई 'धरोहर परिसर प्रबंधन योजना' शुरू करेंगे।
2. भोपाल, खजुराहो, भोजपुर, मांडू, ओरछा, ग्वालियर, धार और इंदौर में अत्याधुनिक इंटरैक्टिव फीचर्स से लैस टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन केन्द्रों को पर्यटकों के लिए सभी जानकारी हेतु वन-स्टॉप केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
3. प्रदेश की कला और शिल्पकारी में उपयोग की जानेवाली विस्तृत प्रक्रियाओं का अनुभव पर्यटकों को कराने के लिए प्रदेश में एक अनुभव पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
4. प्रदेश के संग्रहालयों के विकास और उनके 'हेरिटेज इमर्शन सेंटर' में रूपांतरण के लिए 5 वर्ष की परिप्रेक्ष्य योजना बनाई और लागू की जाएगी।
5. हम पंचमढ़ी को स्वास्थ्य पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे और वहां आयुष आधारित स्वास्थ्य रिसॉर्ट्स और वेकेशन रिसॉर्ट्स के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
6. पर्यटकों की समस्याओं और प्रतिक्रियाओं को समझने और उनका तत्परता से निवारण करने हेतु सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर एक केंद्रीकृत पर्यटक प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित की जाएगी।
7. प्रमुख प्राकृतिक और वन्यजीव पर्यटन स्थानों के आसपास कैम्पिंग साइट्स और कैम्पिंग पार्क विकसित किए जाएंगे।
8. 'पैलेस ओन व्हील्स' की तर्ज पर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की रेल यात्रा हेतु 'हिंदुस्तान का दिल एक्सप्रेस' की शुरुआत की जाएगी।
9. प्रदेश में 'स्वच्छ पर्यटन' को प्राथमिकता दी जाएगी और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक मिशन मोड परियोजना पर्याप्त बजट आवंटन के साथ शुरू की जाएगी।
10. हम स्मारकों और पर्यटन स्थानों संबंधी जानकारी से लैस वर्चुअल रियलिटी आधारित मोबाइल एप के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण शहरों में सेल्फ-गाइडेड टूर्स को बढ़ावा देंगे।
11. हम 50 करोड़ रुपयों के 'पर्यटन इनोवेशन चैलेंज फंड' की शुरुआत करेंगे जिसके माध्यम से हम पर्यटन और संबंधित गतिविधियों में अभिनव कल्पनाओं को प्रोत्साहन देंगे और उन्हें सरकार के प्रयासों में अपनाने के प्रयास करेंगे।

पर्यटन में रोजगार

1. पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में 5 लाख लोगों के प्रशिक्षित मानव संसाधन का सृजन करने हेतु हम प्रदेश में एक विशेष टूरिज्म यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे।
2. छोटे पर्यटक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बुकिंग, परिवहन, गाइड सेवा तथा अन्य सेवाओं के प्रदान सहित एकीकृत पर्यटन प्रबंधन व्यवसाय संचालित करने में युवाओं को सक्षम बनाने हेतु एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
3. प्रदेश में टूर गाइड और ऑपरेटरों के क्षमता वर्धन हेतु ऑनलाइन और वेब-आधारित प्रशिक्षण का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

पर्यावरण अनुकूल समृद्धि का संकल्प

विकास के कीर्तिमान

मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र वनच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर निर्भर जनसंख्या का पोषण हो पाता है। हमारा प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से भी परिपूर्ण है। चूँकि वनों तथा वनों की सीमा के आस-पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अत: वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्त्रोत निरंतर बना रहे बल्कि वन प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सशक्त हो। प्रदेश अपने वन आवरण को बरकरार रखने और उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सजग है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को 2,000 रूपये प्रति मानक बोरा राशि दी जा रही है, जो पिछले वर्ष से 60 प्रतिशत अधिक है। पहली बार 22 लाख 35 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल, पानी की बोतल तथा महिला संग्राहकों को साड़ी प्रदाय की गई है। मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक दुर्घटना सहायता भी योजना लागू की गई है। महुआ फूल-महुआ गुल्ली, अचार की गुठली, सालबीच तथा नीम की निंबोली की न्यूनतम समर्थन मूल्यं पर खरीदी की गई है। साथ ही प्रदेश में 71 मनोरंजन एवं वन्य-प्राणी अनुभव क्षेत्रों के विकास की योजना है।

माँ नर्मदा न केवल पवित्र नदी हैं, बल्कि यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और अब तो यह गुजरात प्रांत एवं राजस्थान की मरू भूमि की भी जीवन रेखा बन गई है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल को भी यह अपनी अमृत धारा से जीवंत कर रहीं है। हमारी सरकार माँ नर्मदा को निरंतर प्रवाहमय एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहीं है और हमने इस दिशा में लक्षित प्रयास किए हैं और इसके लिए हमने नर्मदा सेवा मिशन का भी सृजन किया है।

जलवायु परिवर्तन

1. मध्य प्रदेश कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य निर्धारण करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
2. हम प्रदेश पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव और उसके अनुकूलन एवं शमन के तरीकों के अध्ययन के लिए इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 'ऊर्जा और पर्यावरण अध्ययन विभाग' के भीतर 'जलवायु परिवर्तन तत्परता केंद्र' की स्थापना करेंगे।
3. हम 100 करोड़ रुपयों का 'मध्य प्रदेश पर्यावरण चैलेंज फंड' स्थापित करेंगे जिसका लाभ शोधकर्ता और उद्यमी अभिनव पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी में अनुसंधान हेतु उठा सकेंगे साथ ही हम सरकार द्वारा उपयोग के लिए उचित प्रौद्योगिकी के लिए आश्वासित न्यूनतम ख़रीद सुनिश्चित करेंगे।
4. हम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बिजली और कृषि क्षेत्रों पर प्राथमिकता से ध्यान केंद्रित करेंगे।
5. कृषि आय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि में क्लायमेट-प्रूफ तकनीकों की पहचान और व्यापक उपयोग के लिए एक विशेष एजेंसी गठित की जाएगी।
6. हम सल्फर के उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी सरकारी थर्मल बिजली संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट्स लगाने का काम तत्परता से पूर्ण करेंगे।
7. सभी बड़े और मध्यम पैमाने की सार्वजनिक वित्तपोषित निर्माणाधीन परियोजनाओं (भवनों सहित) के लिए जलवायु प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

वानिकी और वन्य जीवन

1. हम वनरोपण निधि प्रबंधन नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) फंड के योजनाबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इस फंड के लिए एक दीर्घावधि योजना बनाएंगे।
2. हम वन प्रबंधन समितियों (एफएमसी) और वन समुदायों के माध्यम से वन क्षेत्र के संरक्षण और विस्तार में सहभागी संरक्षण और विकास को प्राथमिकता देंगे।
3. वन संसाधनों की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा।
4. हम वन उत्पादन की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के लिए एक राज्यव्यापी डिजिटल प्रणाली तैयार करेंगे।
5. हम उपलब्ध और अप्रयुक्त भूमि पर बांस लगाने के लिए वन प्रबंधन समितियों और नागरिकों को प्रोत्साहित करेंगे।
6. कृषि आय की वृद्धि के साथ साथ वन क्षेत्र को बढ़ाने के दोहरे लाभ हेतु कृषि वानिकी को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. लंबे समय तक अप्रयुक्त भूमि के मालिकों को अपनी भूमि पर पेड़, विशेषतः स्थानीय किस्मों के पेड़, लगाने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और करों में राहत देकर प्रोत्साहित करने हेतु एक खाका बनाया जाएगा।

8. हम प्रदेश के विभिन्न वन्यजीव संसाधनों की रक्षा हेतु उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखेंगे और वन विभाग के कैडर के क्षमता वर्धन को प्राथमिकता देंगे।
9. हम प्रदेश के टाइगर रिज़र्वस में टाइगर सफारी विकसित करेंगे ताकि इन क्षेत्रों के कोर एरियाज पर पड़नेवाला दबाव कम किया जा सके और पर्यटन संभावनाओं का भी विकास हो सके।

माँ नर्मदा

1. हम माँ नर्मदा की पवित्रता और अविरलता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम नर्मदा सेवा मिशन कार्य योजना को प्रभावी निगरानी के साथ शीघ्रता से कार्यान्वित करेंगे। इस कार्य योजना के तहत:
   - वृक्षारोपण के माध्यम से नर्मदा के तटीय क्षेत्र का संरक्षण किया जाएगा
   - व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर उन्नत स्वच्छता एवं तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा और नर्मदा के निकट वाले क्षेत्रों में प्रदुषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
   - जैविक खेती और बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से संवेदनशील कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा
   - नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन को आजीविका से जोड़ा जाएगा और सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी
   - नदी संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाएगा
   - नर्मदा क्षेत्र में स्वस्थ पारिस्थिकीय तंत्र का विकास किया जाएगा
   - तटीय क्षेत्र में नशामुक्त समाज का निर्माण किया जाएगा
   - नर्मदा के किनारे के धर्म स्थलों तथा नदी के बीच में तथा आसपास के टापू आदि का कटाव रोकने हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी

समृद्धि के समान अवसर

विकास के कीर्तिमान

प्रदेश के सभी नागरिकों के हितों का संरक्षण करना लोकहितकारी राज्य का कर्तव्य है। भाजपा सब का साथ और सब का विकास में विश्वास रखती है अतः किसी के साथ भेद भाव न हो यह विश्वास दिलाती है।

समाज और देश का भला सामाजिक समरसता में है, अतः इस ताने-बाने को क्षति न पहुंचे यह हमारा कर्तव्य है। प्रदेश के शान्तिमय वातावरण को दूषित न होने देने के लिये भाजपा संकल्पित है। अनेक योजनाओं के माध्यम से उद्यमी एवं प्रबुद्ध वर्ग तक विकास के प्रयासों को हमने पहुंचाया है, आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। 'संबल' योजना का विस्तार कर सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर तबके को राहत प्रदान करने के उपाय किए हैं। किसी के साथ अन्याय न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाएगी।

हमारे प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 23 प्रतिशत है और लगभग प्रदेश के सभी अंचलों में निवास करती है। कांग्रेस राज में ये केवल उनका वोट बैंक बनकर रह गए थे तथा विकास एवं प्रगति से कोसों दूर थे। हमें प्रसन्नता है कि भाजपा सरकार ने इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आधुनिक सभ्यता की सभी सुविधाओं का दूरस्थ अचंल तक विस्तार कर उन्हें शिक्षित, जागरूक एवं पंचायती एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के पूरे अवसर देकर नेतृत्व क्षमता को भी विकसित किया है। वन भूमि पर वनाधिकार पट्टे दिये गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों को स्वास्थ्य सुविधा, सड़क से जोड़ दिया गया है और एक रुपये किलो अनाज तथा मजरे-टोलों तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल, छात्रावास, छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा हेतु अनेक प्रकार की सुविधाएं, कोचिंग की व्यवस्था की गई है जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

भविष्य का उन्नत मध्य प्रदेश, सबका मध्य प्रदेश बनाने में हम सब भागीदार बनें, यही हमारा संकल्प है और यही हमारी दृष्टि है।

अनुसूचित जनजाति

1. हम 'पेसा' अधिनियम तथा अन्य जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का उनकी मूल भावना के अनुरूप कार्यान्वयन करेंगे।
2. हम आदिवासी समुदाय के न्यायसंगत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगले 5 वर्षों में आदिवासियों के लक्षित विकास के लिए हम 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे।
3. राज्य सिविल सेवा और यूपीएससी में अच्छे प्रदर्शन के लिए जनजातीय छात्रों को प्रदान किए जाने वाले नकद इनाम और परीक्षा-पूर्व आर्थिक सहायता को दोगुना किया जाएगा।
4. जनजातीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए आदिवासी बाहुल्य जिलों में डिजिटल कक्षाओं, आधुनिक कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं आवासीय सुविधाओं से लैस 60 नए मॉडल विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।
5. जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सभी स्कूल भवनों की प्राथमिकता से मरम्मत की जाएगी।
6. आदिवासी लड़कों और लड़कियों के लिए विद्यालयीन और महाविद्यालयीन छात्रावासों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
7. जनजातीय समुदाय में सिकल सेल एनीमिया की प्रारंभिक स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मिशन योजना शुरू की जाएगी।
8. पारंपरिक जनजातीय दवाइयों और चिकित्सा प्रथाओं में अनुसंधान, उनके दस्तावेज़ीकरण और प्रसार हेतु हम मंडला में 'जनजातीय चिकित्सा संस्थान' की स्थापना करेंगे।
9. मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना के तहत जनजातीय युवाओं के लिए स्वरोज़गार के नए अवसर निर्माण करने हेतु हम 100 करोड़ रुपयों का विशेष वार्षिक प्रावधान करेंगे।
10. वनों पर निर्भर आजीविकाओं को संरक्षित करने और लघु वन उपज के संग्रहण में कार्यरत आदिवासियों के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु 200 एनटीएफपी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी और उन्हें वन उपज के प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग उपकरणों की ख़रीद के लिए 10 लाख रुपयों तक की सब्सिडी दी जाएगी।
11. खेल में रुचि रखने वाले और पेशेवर खेलों में भाग लेने की इच्छा रखने वाले जनजातीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण के अवसर सुनिश्चित करने हेतु 6 नए जनजातीय खेल परिसरों की स्थापना की जाएगी।
12. जनजातीय परंपराओं और हितों की प्रभावी सुरक्षा के लिए हम जनजातीय सलाहकार परिषद के साथ निरंतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
13. जनजातीय भाषाओं, लोक कला और संस्कृति के संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जाएगा।
14. विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु हम भारिया, बैगा, सहरिया और कोल जनजाति विकास निगमों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे।
15. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला खनिज प्रतिष्ठान को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग खनन जिलों में आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाए और इसलिए इन संसाधनों के उपयोग हेतु एक दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी।

अनुसूचित जाति

1. हम अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली स्थापित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो और किसी के उत्पीड़न के बिना न्यायसंगत प्रक्रिया तत्परता से पूर्ण हो सके।
2. हम अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जातियों के लक्षित विकास के लिए 1,20,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान करेंगे।
3. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए क्रियान्वित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
4. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए विद्यालयीन और महाविद्यालयीन छात्रावासों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
5. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर निर्माण करने हेतु हम 80 करोड़ रुपयों का विशेष वार्षिक प्रावधान करेंगे।
6. मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरी बनाना, बुनाई आदि परंपरागत व्यवसायों में सक्रिय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मशीनरी की ख़रीद, आधुनिक उपकरणों और विपणन सहायता हेतु 10,00,000 रुपयों तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
7. दलित बस्तियों में 100 नए डॉ अंबेडकर मंगल भवनों का निर्माण किया जाएगा और सभी मंगल भवनों को पुस्तकालय और मल्टीमीडिया इकाइयों से सुसज्जित किया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग

1. पिछड़े वर्ग के सभी गरीब परिवारों के बच्चों की कक्षा एक से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।
2. विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले पिछड़े वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को जीआरई, जीमेट, टोफेल इत्यादी पात्रता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. राज्य सिविल सेवा और यूपीएससी में अच्छे प्रदर्शन के लिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रदान किए जानेवाले नकद इनाम और परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना किया जाएगा।
4. अगले 5 वर्षों में सभी जिलों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध विद्यालयीन और महाविद्यालयीन हॉस्टल की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
5. पत्तल बनाने, बुनाई आदि जैसे पारंपरिक व्यवसायों में सक्रिय पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को मशीनरी की ख़रीद, आधुनिक उपकरणों और विपणन सहायता हेतु 10,00,000 रुपयों तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
6. परंपरागत व्यवसायों में काम करने की इच्छा रखने वाले पिछड़े वर्गों के युवाओं को व्यवसाय-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण देने और आधुनिक विपणन में मार्गदर्शन हेतु 30 'परंपरागत व्यवसाय कॉलेजों' की स्थापना प्रदेश में की जाएगी।

7. पिछड़े वर्ग के युवाओं को छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 100 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ 'ओबीसी उद्यमिता फंड' की स्थापना की जाएगी।

घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जाति

1. हम घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जातियों के छात्रों के लिए कक्षा 1 से पीएचडी तक शिक्षा के खर्च का वहन सरकार करेगी।
2. हम घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जातियों के युवाओं को को कौशल प्रशिक्षण देकर आय के स्त्रोतों से जोड़ेंगे।
3. घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जातियों के परिवारों को पक्का मकान प्राथमिकता से मुहैया कराया जाएगा।

सामान्य वर्ग

1. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं और सरकारी सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर प्रभावी और लक्षित ढ़ंग से उन तक लाभ पहुँचाया जाएगा।
2. हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के छात्रों को शिक्षा संबंधी आर्थिक सहायता एवं युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 'समग्र सशक्तिकरण योजना' की शुरुआत करेंगे।

अल्पसंख्यक

1. कंप्यूटर साक्षरता और विज्ञान पाठ्यक्रमों को प्रदान कर सभी पंजीकृत मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
2. हम अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा के खर्च का वहन सरकार करेगी।
3. वक्फ बोर्ड की जमीनों के अवैध कब्जे हटाकर वहां वक्फ बोर्ड के निर्णय अनुसार विकास योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी।
4. कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प संख्यक युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षणोपरान्त मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिक

1. हम सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके घर पर सरकारी सेवाओं का प्रदान सुनिश्चित करेंगे और ऐसी सेवाओं के आवेदन हेतु एक अलग कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
2. हम आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षित देखभाल कर्मचारियों से लैस 200 निवासियों की क्षमता वाले 30 नए 'वृद्धावस्था देखभाल केंद्र' स्थापित करेंगे और वरिष्ठ

नागरिकों की देखभाल हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बुजुर्ग देखभाल को कौशल विकास केंद्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

पूर्व सैनिक

1. पूर्व सैनिकों तक सैनिक कल्याण कार्यक्रमों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु जिला सैनिक कार्यालयों को सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा।
2. 100 करोड़ रुपयों के निधि के साथ एक विशेष 'पूर्व सैनिक पुन: रोजगार कार्यक्रम' स्थापित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिला सैनिक कार्यालयों के माध्यम से पूर्व सैनिकों को कौशल विकास और स्नातक स्तर तक उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही रोजगार ढूंढ रहे पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए रोजगार अवसरों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी

1. शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन संबंधी विषयों की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
2. शासकीय संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के अनुरूप भत्ते आदि की व्यवस्था की जाएगी।
3. अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति के समय अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
4. सातवें वेतनमान का लाभ शासन के सभी निगमों मंडलों में शीघ्र लागू किया जाएगा।

दिव्यांग

1. दिव्यांग नागरिकों तक सभी योजनाओं और सुविधाओं का निर्बाध लाभ पहुँचाने हेतु एक एकीकृत पहचान पत्र के रूप में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
2. अगले 5 वर्षों में सभी सरकारी भवनों को दिव्यांगो के लिए पूरी तरह से सुगम बनाया जाएगा और सभी नए सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाना अनिवार्य किया जाएगा।
3. सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग-आरक्षित पार्किंग स्थानों और दिव्यांग सुविधा डेस्क की व्यवस्था की जाएगी और दिव्यांग नागरिकों को सेवा में प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी।
4. सभी सरकारी शिक्षकों को उनकी शिक्षा पद्धतियों में दिव्यांग छात्रों की विशेष ज़रूरतों को एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
5. हम प्रमुख खेलों में दिव्यांग सहभागिता को प्रोत्साहित करने और पैरा-एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जबलपुर में 'दिव्यांग क्रीडा केंद्र' स्थापित करेंगे।
6. हम पैरा-एथलीटों को पैरा-गेम्स में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 प्रति माह का विशेष अनुदान प्रदान करेंगे।

भाजपा
मध्यप्रदेश

भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश

प्रकाशक -
संख्या -
मुद्रक -